झारखण्ड सरकार

किसानों के लिए कृषि प्रभाग की केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम की मार्गदर्शिका

श्री रघुबर दास
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार

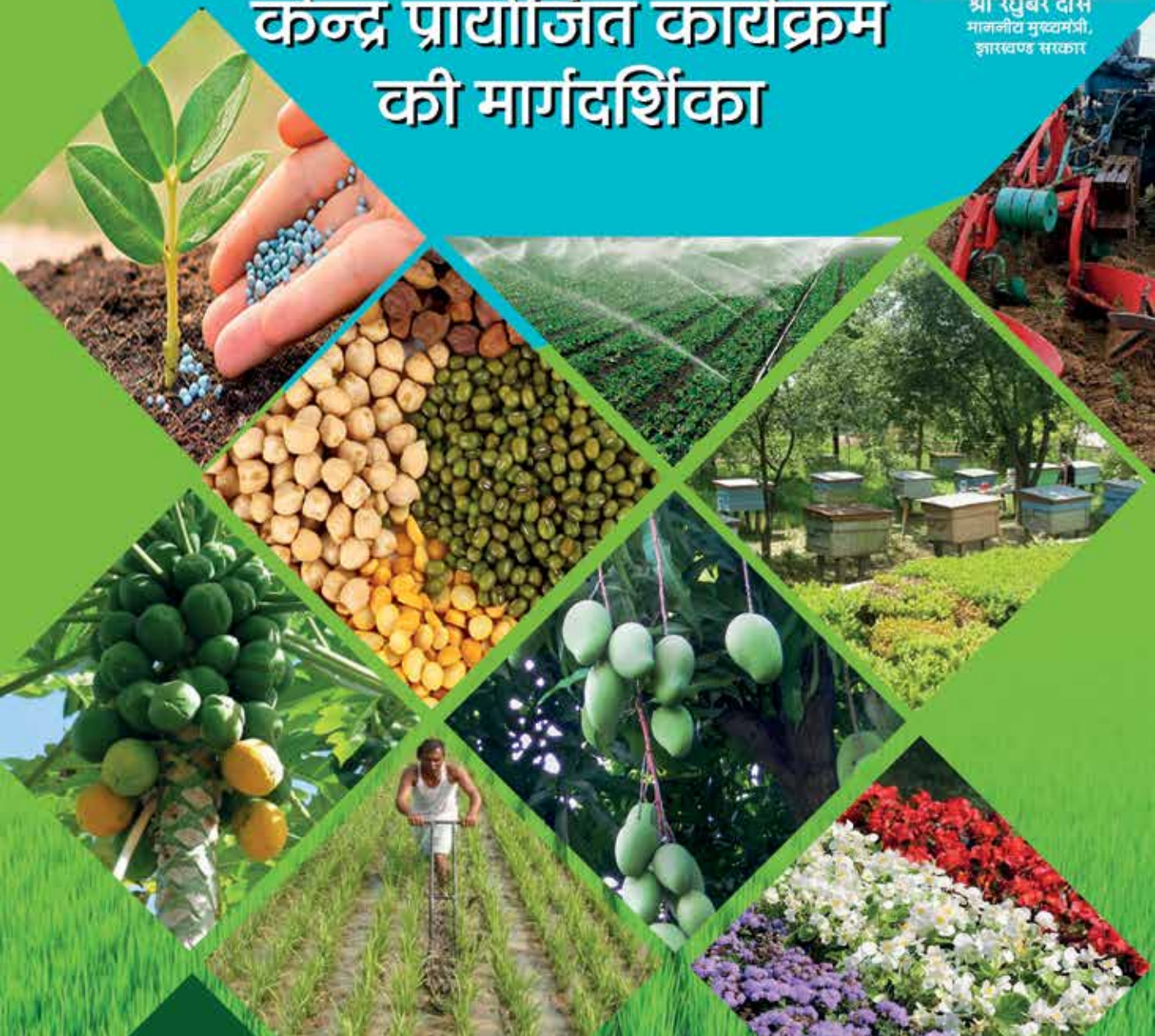

राज्यस्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति), झारखण्ड

कृषि भवन, द्वितीय तल, काँके रोड, राँची, झारखण्ड - 834008

वेबसाईट : www.sameti.org ई.मेल: sametijharkhand@rediffmail.com

समेति

प्रकाशक :
समेति झारखण्ड
कृषि भवन, द्वितीय तल्ल,
कांके रोड, राँची-834008, झारखण्ड
© सुरक्षित

मुख्य सम्पादक
डॉ. एम.एस.ए. महालिंगा शिवा,
निदेशक समेति, झारखण्ड।

संकलन
श्री अभिषेक तिर्की, संकाय,
कृषि प्रसार प्रबंधन, समेति, झारखण्ड

सहयोग
श्री राकेश कुमार, ए.टी.एम.,
सरायकेला, प्रतिनियुक्त, समेति, झारखण्ड।

टंकण एवं साज-सज्जा
श्री परशु राम, कम्प्यूटर ऑपरेटर,
समेति, झारखण्ड।

सामग्री सहयोग
प्रसार निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार

नोट :
यह पुस्तिका भारत सरकार के द्वारा वेबसाईट पर दी गयी सूचना के आधार पर इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद किया गया है। भाषा में अन्तर सम्भावित हो सकता है। इसके किसी भी त्रुटि हेतु प्रकाशक, सम्पादक या संकलनकर्त्ता जिम्मेदार नहीं है।
This book can not be used for legal purpose.

रणधीर कुमार सिंह
Randhir Kr. Singh
मंत्री
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि समेति झारखण्ड द्वारा राज्य के किसान भाई-बहनों के बीच योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का संकलन का सराहनीय प्रयास किया गया है।

"कृषि प्रभाग की केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम की किसानों के लिए मार्गदर्शिका" नामक पुस्तिका के माध्यम से किसानों को इन योजनाओं की जानकारी सुगमता पूर्वक मिल सकेगी।

मैं आशा करता हूँ कि किसान भाईयों के साथ-साथ प्रसार कर्मी को भी इन योजनाओं की जानकरी मिलेगी, जिसका लाभ धरातल पर देखने को मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित।

(रणधीर कुमार सिंह)

पूजा सिंघल, भा.प्र.से.
सचिव
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड सरकार

संदेश

राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि कृषि प्रभाग की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से समेति, झारखण्ड द्वारा एक मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है। सब किसानों को तकनीकी ज्ञान के साथ योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

आशा करती हूँ कि इस मार्गदर्शिका के माध्यम से राज्य के कृषि प्रसार की केन्द्र प्रायोजित किसानों की संकलित जानकारी मिल सकेगी तथा ज्यादा से ज्यादा कृषक बंधु इन जानकारियों का लाभ उठाकर अपने आयवृद्धि कर सकेंगी।

शुभकामनाओं सहित।

(पूजा सिंघल)

रमेश घोलप, भा.प्र.से.
कृषि निदेशक,
झारखण्ड सरकार

संदेश

समेति, झारखण्ड द्वारा **"कृषि प्रभाग की केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम की किसानों के लिए मार्गदर्शिका"** नामक पुस्तिका का प्रकाशन कर कृषि प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किया है। पुस्तिका में कृषि प्रभाग की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों को घटकवार संकिलत किया गया है, जिससे किसानों को योजनाओं के व्यावहारिक पहलुओं को समझने में आसानी हागी।

आशा है यह मार्गदर्शिका प्रसार कर्मियों, गैर सरकारी संगठनों एवं कृषि विकास कार्य में लगे हुए किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

शुभकामनाओं सहित।

(रमेश घोलप)

डॉ. एम.एस.ए. महालिंगा शिवा
निदेशक,
समेति, झारखण्ड।

संदेश

मुझे अपार हर्ष है कि समेति, झारखण्ड द्वारा **"कृषि प्रभाग की केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों की किसानों के लिए मार्गदर्शिका"** नामक पुस्तिका को संकलित कर प्रकाशित की जा रही है। इस पुस्तक से किसानों के अलावे कृषि से जुड़े हुए सभी प्रसार कर्मियों को नई दिशा एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मार्गदर्शिका को तीन व्यावहारिक पहलुओं में बांटा गया है जैसे आप क्या करें? आप क्या प्राप्त कर सकते है? और आप किन से सर्म्पक करें? मुझे उम्मीद है इस पुस्तिका में संकलित योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी कृषक बन्धुओं एवं प्रसार कर्मियों के लिए लाभदायी साबित होगी।

डॉ0 एम0एस0ए0 महालिंगा शिवा
निदेशक समेति, झारखण्ड

1 मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व

क्या करें ?

* मिट्टी की जांच के आधार पर हमेशा उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें।
* मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग करें।
* उर्वरकों का पूर्ण लाभ पाने हेतु उर्वरक को छिड़कने की बजाय जड़ों के पास डालें।
* फास्फेटिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करें ताकि जड़ों / तनों का समुचित विकास हो तथा फसल समय पर पके, विशेष रूप से फलीदार फसलें, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करती है।
* सहभागी जैविक गारन्टी व्यवस्था (पी.जी.एस. इण्डिया) प्रमाणीकरण अपनाने के इच्छुक किसान अपने आस-पास के गांव में कम से कम पांच किसानों का एक समूह बनाकर इसका पंजीकरण निकटतम जैविक खेती के क्षेत्रीय केन्द्र में करायें।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड : मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 19 फरवरी, 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत शुरू हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सभी जोत धारकों को हर दो वर्ष के अंतराल के बाद दिये जाएंगे ताकि वे फसल पैदावार लेने के लिए सिफारिश किए गये पोषक तत्व डाले ताकि मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़े।

क्या पायें ?

मिट्टी सुधार के लिए सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम / घटक
1.	सूक्ष्म तत्वों तथा भूमि सुधार तत्वों का वितरण	रू. 2500/- प्रति हेक्टेयर	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
1. क	जिप्सम / पाईराइट / चूना / डोलोमाइट की आपूर्ति	लागत का 50% + परिवहन, कुल रू. 750/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयल पॉम)
2.	जिप्सम फास्फोजिप्सम / बेन्टोनाइट सल्फर की आपूर्ति (गेहूँ एवं दालें)	लागत का 50%, जो रू. 750/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एवं बीजीआरईआई

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम / घटक
3.	सूक्ष्मपोषक तत्व (धान, गेहूँ, दालें एवं न्यूटी-सिरियल)	लागत का 50%, जो 500/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एवं बीजीआरईआई
4.	चूना / चूनायुक्त सामग्री (धान / दालें)	सामग्री की लागत का 50%, जो रू. 1000/- हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एवं बीजीआरईआई
5.	जैव उर्वरक (दालें एवं न्यूटी-सिरियल)	लागत का 50%, जो रू. 300/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	बीजीआरईआई/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
6.	जैविक खेती अपनाने के लिए	रू. 10,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए प्रति हेक्टेयर की सहायता से 3 साल के लिए सहायता। पहले वर्ष में रू. 4000 और दूसरे और तीसरे वर्ष में रू. 3000	राष्ट्रीय बागवानी मिशन / पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन समेकित बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत उप योजना
7.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई (स्थायी संरचना का आयाम पर प्रशासित किया जाना चाहिए)	रू. 50000/- प्रति इकाई (जिसका परिमाप 30'x8'x2.5' अथवा आनुपातिक आधार पर 600 वर्ग फुट)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन / पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन। एमआईडीएच की सहायक योजना।
8.	अच्छी मोटाई वाली पोलीथीन वर्मी बेड	रू. 8000/- प्रति इकाई (जिसका परिमाप 12'x4'x2' अथवा आनुपातिक आधार पर 96 क्यूबिक फुट और 15907:2010 को प्रशासित किया जाना है।)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) / पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन / एमआईडीएच की सहायक योजना।
9.	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन	रू. 1200/- प्रति हेक्टेयर (4 हेक्टेयर तक)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन / पूर्वोत्तर एवं हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी मिशन। एमआईडीएच की सहायक योजना।
10.	नई मोबाईल / अचल मृदा जांच प्रयोगशालाओं (एमएसटीएल / एसएसटीएल) की स्थापना	प्रति वर्ष 10,000 नमूनों का विश्लेषण करने की क्षमता के लिए नाबार्ड के माध्यम से व्यक्तिगत एवं निजी एजेंसियों के लिए लागत का 33% या 25 लाख तक सीमित / प्रयोगशाला है।	एनएमएसए

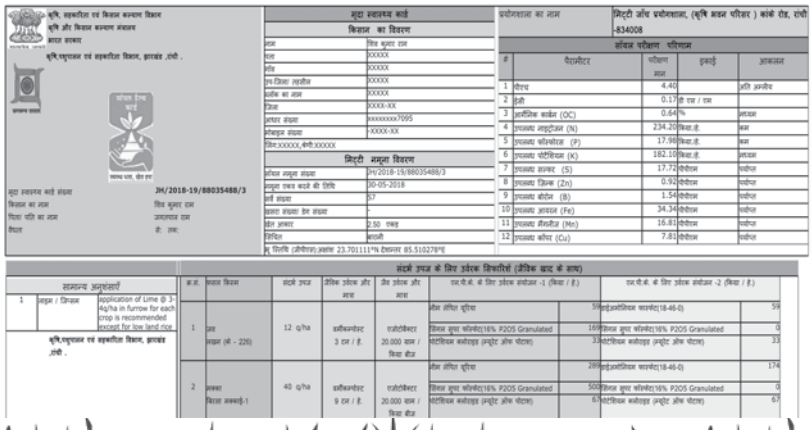

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम / घटक
11.	आईसीएआर प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना	नाबार्ड के माध्यम से प्रति वर्ष 3000 नमूने विश्लेषण करने के लिए प्रति व्यक्ति / निजी क्षेत्रों के लिए लागत का 44% या रू. 44,000 प्रति लैब	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
12.	गांव के स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजना की स्थापना करना	लागत का 70% या रू. 3,75,000 तक जो भी कम है।	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
13.	समस्या ग्रस्त मृदा का सुधार	**क्षारीय / लवणीय मिट्टी** रू. 60,000/- प्रति हेक्टेयर **अम्लीय मृदा** रू. 15,000/- प्रति हेक्टेयर 90:10 केन्द्र व उत्तर पूर्वी व हिमालय क्षेत्रों के लिए 60:40 केन्द्र व दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा हिमालयी राज्यों के लिए	आरकेवीवाई उपयोजना समस्या ग्रस्त मृदा का सुधार (आपीएस)
14.	पौध संरक्षण रसायन	कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, खरपतवारनाशी, जैव कीटनाशकों, जैव घटकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैव उर्वरक आदि लागत के 50% की दर से रू. 500/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयल पॉम) एवं एनएफएसएम / बीजीआरईआइ)

किससे सम्पर्क करें ?

जिला कृषि पदाधिकारी / परियोजना निदेशक (आत्मा)

2 सिंचाई – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं अन्य योजनाएं

क्या करें ?

* अच्छी कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी और पानी का संरक्षण करें।
* चेक बांधों और तालाबों के निर्माण द्वारा वर्षा के पानी का संचयन करें।
* जल भराव वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण अपनायें एवं उसमें बीज उत्पादन करें और पौधशाला लगायें।
* सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, बूँद-बूँद (टपक) व फव्वारा सिंचाई विधि अपनायें। यह 30-37% पानी बचाती है और इससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता भी बढ़ जाती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वित्तीय मंत्रीमंडलीय समिति ने 1 जुलाई 2015 को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) के लिए रू. 50,000 करोड़ की राशि अनुमोदित किये हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिदृश्य में देश के कृषि भूमि को सिंचाई का संरक्षित स्रोत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है ताकि पानी के प्रत्येक बूंद से अधिक से अधिक फसल उत्पादन किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाई जा सके। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की नीति के तहत जल स्रोतों, वितरण प्रणाली (नेटवर्क), खेत स्तर पर बेहतर नीति का उपयोग और नई तकनीकी पर आधारित कृषि प्रसार एवं सूचना का व्यापक रूप से सम्पूर्ण सिंचाई आपूर्ति करने के लिए जिला व राज्य स्तर पर प्रयोग।

क्या पायें ?

राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एन.एम.एस.ए.) के अन्तर्गत जल प्रबन्धन

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम
1.	बूँद-बूँद (टपक) सिंचाई	छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% तक और अन्य किसानों के लिए 45% तक वित्तीय सहायता। ड्रिप पाइप और भूमि के आकार के अनुसार आधार पर प्रति हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की रेंज लागत रूपये रू. 21643 से रू. 11237 तक है। अधिकतम स्वीकार्य सहायता प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक ही सीमित होगी।	प्रति बूंद ज्यादा फसल घटक प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम
2.	छिड़काव सिंचाई (पोर्टेबल, मिनी, सूक्ष्म, अर्ध, स्थायी, बड़ी मात्रा / रेन गन आदि)	छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% तक और अन्य किसानों के लिए 45% तक वित्तीय सहायता। ड्रिप पाइप और भूमि के आकार के अनुसार आधार पर प्रति हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की रेंज लागत रूपये 19,542 से रू. 94,028 तक है। अधिकतम स्वीकार्य सहायता प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक ही सीमित होगी।	- तदैव
3.	**जल संचयन एवं प्रबंधन**		
3.1	व्यक्तिगत स्तर पर जल संचयन पद्धति	लागत का 50% (मैदानी क्षेत्र में निर्माण लागत रू. 125/- प्रति घन मीटर और पहाड़ी क्षेत्र में रू. 150/- प्रति घन मीटर) जो लाइनिंग सहित मैदानी क्षेत्र के लिए रू. 75000/- और पहाड़ी क्षेत्र के लिए रू. 90,000/- तक सीमित होगी। छोटे आकार के तालाब/कुआँ खोदने के लिए लागत आनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगी। बिना लाइनिंग के तालाब/कुआँ की लागत 30% कम होगी।	एनएमएसए का आएडी घटक
3.2	मनरेगा / डब्ल्यू. एस.डी.पी. आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब / टैंकों की लाइनिंग	प्लास्टिक / आर.सी.सी. लाइनिंग लागत का 50% प्रति तालाब / टैंक / कुआँ जो रू. 25,000/- तक सीमित होगा।	- तदैव -
3.3	सामुदायिक जल संचयन निर्माण : सामुदायिक टैंकों / खेत तालाब / चेक डेम / कुण्डों का सार्वजनिक भूमि पर प्लास्टिक / आरसीसी लाइनिंग के प्रयोग से निर्माण	10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए अथवा किसी अन्य छोटे आकार के लिए कमांड क्षेत्र के अनुसार आनुपातिक आधार पर लागत का 100%, जो मैदानी क्षेत्र में रू. 20 लाख प्रति यूनिट और पहाड़ी क्षेत्र में रू. 25 लाख प्रति यूनिट तक सीमित होगा बिना लाइन वाले तालाब टैंक की लागत 30% कम होगी।	- तदैव -
3.4	ट्यूब वेल / बोर वेल (उथला / मध्यम) का निर्माण	कुल लागत का 50%, जो रू. 25,000/- प्रति इकाई तक सीमित होगा	- तदैव -
3.5	छोटे तालाब का मरम्मत / नवीनीकरण	नवीनीकरण के लिए लागत का 50%, जो रू. 15,000/- प्रति इकाई तक सीमित होगा	- तदैव -

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम
3.6	पाइप / प्रीकॉस्ट वितरण प्रणाली	इस प्रणाली की कुल लागत का 50%, जो रू. 10,000/- प्रति हेक्टेयर और प्रति लाभार्थी अथवा समूह अधिकतम 4 हेक्टेयर के प्लाट तक सीमित होगा	- तदैव -
3.7	जल उत्थापन यंत्र (विद्युत, डीजल, वायु, सौर ऊर्जा से चलने वाले)	स्थापना लागत का 50%, जो रू. 15,000/- प्रति विद्युत / डीजल इकाई तथा रू. 50,000/- प्रति सौर / वायु इकाई तक सीमित होगा	- तदैव -
3.8	पॉली लाइनिंग तथा सुरक्षात्मक बाड़ द्वि तीय भंडारण संरचना हेतु	लागत का 50%, जो रू. 100/- घन मीटर की भंडारण क्षमता तक और अधिकतम अनुदान सहायता रू. 2 लाख प्रति लाभार्थी तक सीमित	एनएमएसए का आरएडी घटक
3.9	सुरक्षित बाढ़ युक्त ईंट / सीमेंट / कंक्रीट द्वारा निर्मित द्वितीयक भंडारण संरचना	लागत का 50%, रू. 350/- घन मीटर की भंडारण क्षमता तक और अधिकतम अनुदान सहायता रू. 2 लाख प्रति लाभार्थी तक सीमित	- तदैव -

मिट्टी सुधार के लिए सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम
1.	सिंचाई की पाइपें	लागत का 50%, रू. 50/- प्रति मीटर एचडीपीई पाईप के लिए, रू. 35/- प्रति मीटर पीवीसी पाईप के लिए तथा रू. 20/- प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटिड ओपन समतल ट्यूब पाईप के लिए जो रू. 15,000/- प्रति किसान / लाभार्थी के लिए सीमिति है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयल पॉम)
2.	ऑयलपाम के लिए बूँद-बूँद (टपक) सिंचाई प्रणाली	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा निर्देश के अनुसार	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयल पॉम)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम
3.	प्लास्टिक / आरसीसी आधारित जल संचयन रचना / खेत तालाब / सामुदायिक टैंक निर्माण (100 मीटर x 100 मीटर x 3 मीटर) छोटे आकार के तालाब / टैंक के लिए आनुपातिक आधार पर जो कमांड एरिया पर निर्भर होगी, की लागत स्वीकार्य होगी।	10 हेक्टेयर कमांड एरिया के लिए 500 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग / आरसीसी लाइनिंग के लिए मैदानी क्षेत्रों में रू. 20.00 लाख प्रति इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में रू. 25. 00 लाख प्रति इकाई	एनएचएम / एचएमएनईएच एमआईडीएच की एक उपयोजना
4	व्यक्तिगत आधार पर खेत तालाब कुँए में जल संचयन (20 मी. x 20 मी. x 3 मी. परिमाप) छोटे आकार के खेत तालाब / कुँए के लिए लागत आनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगी	02 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए 300 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग / आरसीसी लाइनिंग के लिए मैदानी क्षेत्र में रू. 1.50 लाख प्रति लाभार्थी और पहाड़ी क्षेत्रों में रू. 1.80 लाख प्रति लाभार्थी	एनएचएम / एचएमएनई एचएमआईडीएच की एक उपयोजना
5.	दलहनों, गेहूँ एवं न्यूटी-सिरियल के लिए फव्वारा सिंचाई सेट	रू. 10,000/- है, अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
6.	(क) ऑयल पाम के खेत में बोर वेल का निर्माण (ख) जल संचयन संरचना / तालाब	एनएमएसए दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता अर्थात् लागत का 50% इस शर्त पर कि ये गंभीर, अर्द्ध गंभीर एवं अधिक शोषित भूजल क्षेत्र में स्थापित नहीं किये जाएंगे, अधिकतम सीमा रू. 25,000/- प्रति बोरवेल / नलकूप लागत का 50% (निर्माण लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए रू. 125/- एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू. 150/- प्रति घन मीटर), जो लाइनिंग सहित मैदानी क्षेत्र के लिए रू. 75,000/- और पहाड़ी क्षेत्र के लिए रू. 90,000/- तक सीमित होगा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयल पॉम)
7.	बी.जी.आर.ई.आई. के तहत कुओं / बोरवेलों का निर्माण	लागत का 100%, जो रू. 30,000/- तक सीमित है।	पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बी.जी.आर.ई.आई.)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड / अधिकतम सीमा	स्कीम
8.	उथले नलकूप	लागत का 100%, जो रू. 12,000/- तक सीमित है।	बीजीआरईआई
9.	धान, गेहूँ एवं दालों के लिए 10 हॉर्सपावर तक के पम्प सेट	रू. 10,000/- प्रति पम्प सेट या लागत का 50%, जो भी कम हो।	बी.जी.आर.ई.आई.
10.	केवल दालों के लिए मोबाइल रेन गन	रू. 15,000/- प्रति मोबाइल रेन गन या लागत का 50%, जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी / परियोजना निदेशक (आत्मा) / जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी

3 कृषि विपणन

क्या करें ?

* किसान अपनी उपज की कीमत की जानकारी एगमार्क नेट वेबसाइट (www.agmarknet.nic.in) पर या किसान काल सेंटर अथवा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
* अपनी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध एसएमएस को देखें और सूचना प्राप्त करें।
* फसल की कटाई और गहराई उचित समय पर की जानी चाहिए।
* उचित कीमत के लिए बिक्री से पहले उचित ग्रेडिंग पैकिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए।
* उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित बाजार / मंडी में बिक्री के लिए जाएं।
* अधिकतम लाभ के लिए उपज का भंडारन करके बेमौसम में बिक्री करनी चाहिए।
* मजबूरन बिक्री से बचना चाहिए।
* बेहतर विपणन सुविधाओं के लिए किसान समूह में सहकारी विपणन समितियाँ एफपीओ गठित कर सकते हैं।
* विपणन समितियां खुदरा और थोक दुकानें खोल सकती हैं।
* मजबूरन बिक्री से बचने के लिए किसान उपज के भण्डारण के लिए शीत भंडारण और गोदाम बना सकते हैं।

आईएमएएम की एएमआई उपयोजना

भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक पूंजी निवेश सब्सिडी उपयोजना ''कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर'' (एमआई) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पूर्व की दो योजनाओं अर्थात् (i) 01. 04. 2001 से लागू की गई ग्रामीण भंडारण योजना (जीबीवाई) और (ii) 20. 10. 2004 से लागू की गई कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के सुदृढ़ीकरण / विकास की योजना (एएमआईजीएस) को दिनांक 01. 04. 2014 से कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) नामक योजना में आमेलित कर दिया गया है। आईएसएम की एएमआई उपयोजना को 12वीं योजना अवधि (2012-17) के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में यह योजना किसी भी श्रेणी के लाभार्थी के लिए उपलबध नहीं है।

इसके अतिरिक्त, देश में भंडारण परियोजनाओं सहित अतिरिक्त कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं सृजित करने हेतु एएमआई उपयोजना को 14वें वित्त आयोग की सहसमाप्य अवधि तक के लिए पुनः शुरू करने हेतु स्वीकृत किया है।

किससे संपर्क करें ?

उप कृषि विपणन सलाहकार (ए.एम.आई.) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई.) सी.जी. ओ. कॉम्पलेक्स, एनएच-IV, फरीदाबाद (हरियाणा) दूरभाष : 0129-2434348, ईमेल - rgs.agri@nic.in

जिला स्तर पर कृषक पणन सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति से संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

कृषि विपणन क्षेत्र में प्रवेशक सुधार के उद्देश्य से और किसानों को अधिकतम लाभ देने के लिए पूरे देश में कृषि जिन्सों की ऑन-लाइन विपणन को प्रोत्साहित देने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 01. 07. 2015 को राष्ट्रीय कृषि बाजार कार्यान्वयन के लिए एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अंतर्गत सभी 585 नियमित बाजारों में यथोचित सामान्यक ई-मार्केट उपलब्ध कराया गया है, जिससे ऑन-लाइन ट्रेडिंग करने, ई-परमिट जारी करने और ई-भुगतान आदि करने के साथ-साथ सूचना विषमता को दूर करने, लेन-देन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और पूरे देश के बाजारों में पहुंच आसान बनाने में इससे सहायता मिलेगी। यह किसानों को वास्तविक लाभ देने के लिए आवश्यक होगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन (एनएएम) दिशानिर्देश शीघ्र ही 14. 04. 2016 को 8 राज्यों की 21 मंडियों में शुरू किया गया है।

ई-नाम एकीकृत मंडियों का 16 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में विस्तार

राज्य	एकीकृत मंडियां
आन्ध्र प्रदेश	22
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	14
गुजरात	79
हरियाणा	54
हिमाचल प्रदेश	19
झारखण्ड	19
मध्य प्रदेश	58
महाराष्ट्र	60
ओडिशा	10
पुडुचेरी	2
पंजाब	19
राजस्थान	25
तमिलनाडू	23
तेलंगाना	47
उत्तर प्रदेश	100
उत्तराखण्ड	16
पश्चिम बंगाल	17
कुल	585

अधिक जानकारी के लिए कृपया लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), नई दिल्ली (ई-मेल आईडी : nam@sfac.in) को संपर्क करें। योजनाओं की विस्तृत जानकारी www.enam.gov.in पर उपलब्ध है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

एफपीओ में किसान कैसे सम्मिलित हों

किसानों का एक समूह जो वास्तव में कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और जो कृषि व्यवसायिक गतिविधियां चलाने में एक जैसी धारणा रखते हों, एक गाँव अथवा कई गाँवों को सम्मिलित कर एक समूह बना सकते हैं और संगत कम्पनी अधिनियम के अधीन एक किसान उत्पादन कम्पनी के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एफपीओ के गठन से किसान को क्या लाभ होंगे

i यह एक प्रभावी संगठन होने के कारण एफपीओ के सदस्य के रूप में किसानों को बेहतर सौदेबाजी करने की शक्ति देगी जिससे उन्हें जिंसों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर खरीदने या बेचने का उचित लाभ मिल सकेगा।

ii बेहतर विपणन सुअवसरों के लिए कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण। बहुलता में व्यापार करने से प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन इत्यादि मदों में होने वाले संयुक्त खर्चों से किसानों को बचत।

iii एफपीओ मूल्य संवर्धन के लिए छँटाई / ग्रेडिंग, पैकिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण इत्यादि जैसी गतिविधियां शुरू कर सकता है जिससे किसानों के उत्पाद को उच्चतर मूल्य मिल सकता है।

iv एफपीओ के गठन से ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भण्डारण, कृषि प्रसंस्करण इत्यादि जैसे कटाई पूर्व और कटाई पश्चात् संसाधनों के उपयोग में सुविधा।

v एफपीओ आदान भण्डारों, कस्टम केन्द्रों इत्यादि को शुरू कर अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को विस्तार कर सकते हैं। जिससे इसके सदस्य किसान आदानों और सेवाओं का उपयोग रियायती दरों पर ले सकते हैं।

एफपीओ में आवेदन करने के लिए सम्पर्क सूत्र

आमतौर पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत एफपीओ को प्रोत्साहित किया जाता है। एफपीओ गठित करने के इच्छुक किसानों को विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विभाग / लघु कृषक कृषि व्यवसाय संगठन के निदेशक (ई-मेल : sfac@nic.in) से संपर्क कर सकते हैं।

सएफएसी देश के 11 राज्यों में एनएफएसएम के तहत दालों और बाजरा के मूल्य विकास के लिए 145 एफपीओ को बढ़ावा दे रहा है। एसएफएसी के मानदंड के अनुसार, रूपये 62.75 लाख की राशि प्रति एफपीओ फार्मूलेशन, पंजीकरण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्णय, प्रबंधन और विपणन और मिनी दाल मिल की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है।

4 जैविक खेती–परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) : दिशानिर्देश	
परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) योजना के एक उप-घटक ''परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)'' का उद्देश्य स्थिरता स्थापित करने, दीर्घावधिक मृदा उर्वरता, संसाधन संरक्षण सुनिश्चित करने और कृषि रसायनों का प्रयोग किए बिना जैविक पद्धतियों के माध्यम से सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य उपज प्रदान करने हेतु मूल्य श्रृंखला प्रणाली में परम्परागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण करते हुए जैविक खेती में उत्कृष्टता के मॉडल का विकास करना है। पीकेवीवाई का भी उद्देश्य न केवल कृषि प्रबंधन, आदान उत्पादन, गुणवत्ता आश्वासन में बल्कि नवाचारी साधनों के माध्यम से मूल्य संवर्धन और प्रत्यक्ष विपणन के लिए भी समूहों के माध्यम से संस्थानिक विकास के द्वारा किसानों को सशक्त करना है। पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भागीदारी गारंटी प्रणाली पीकेवीआई के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन हेतु प्रमुख पद्धति होगी। पीकेवीवाई के संशोधित दिशानिर्देश वेबसाइट : www.agricoop.nic.in में उपलब्ध हैं।	(क) पीकेवीवाई के अंतर्गत जैविक खेती को पहाड़ी, जनजातीय और उन वर्षा सिंचित क्षेत्रों जहां रसायन उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम होता है और वह क्षेत्र बाजार लिंकेज विकसित करने हेतु अच्छी पहुंच रखते हैं, में वरीयतापूर्वक बढ़ावा दिया जाएगा। (ख) 1000 है, क्षेत्रफल तक के बड़े खण्डों में समूह पद्धति अपनाई जाएगी। (ग) चुने गए समूह संस्पर्शी खंडों में होंगे, जहां तक संभव हो, इस कुछ समीपस्थ गांवों में विस्तारित किया जाए (परंतु अव्यवस्थित विभाजित गांवों में बड़े क्षेत्रों में नहीं)। (घ) ग्राम पंचायत आधारित किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा अथवा पहले से मौजूद एफपीओ को इस योजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। (ङ) राज सहायता की सीमा जिसके लिए एक किसान पात्र होता है अधिकतम एक हेक्टेयर के लिए होगी। एक समूह में, कम से कम 65 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान होने चाहिए। महिला किसान / एसएचजी को वरीयता दी जानी चाहिए।

क्या करें ?

(क) कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त विभिन्न फसलों / फसलन प्रणाली के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को बढ़ावा दें।

(ख) जैविक खेती और अधिक जैव-रसायनों, जैव-कीटनाशकों और जैव-उर्वरकों का प्रयोग करें।

क्या पायें ?

क्र. सं.	घटक	सहायता पद्धति / हे.			तीन वर्षों के लिए प्रति हेक्टे. प्रति हेक्टे. कुल वित्तीय सहायता	तीन वर्षों के लिए 20 हेक्टे. प्रति समूह कुल वित्तीय सहायता	प्रति 1000 हेक्टे. प्रति क्लस्टर को कुल वित्तीय सहायता लाख रूपये में
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष			
क. सेवा प्रदाताओं / राज्यों के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन							
1.	क्लस्टर निर्माण तथा ज्ञानार्जन दौरा सहित क्षमता निर्माण एवं क्षेत्र कार्मिकों का प्रशिक्षण	1000	500	500	2000	40,000	20.00
2.	डेटा प्रबंधन तथा अपलोडिंग सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए श्रमिकों की तैनाती तथा प्रबंधन लागत	1000	1000	1000	3000	60000	30.00
ख. स्थानीय परिषदों / क्षेत्री परिषदों के माध्यम से पीजीएस प्रमाणीकरण							
3.	वास्तविक सत्यापन, पृष्ठांकन तथा प्रमाणपत्र से जुड़े मामले हेतु आरसी का सेवा शुल्क	500	500	500	1500	30,000	15.00
4.	2 वर्ष से प्रति 2 नमूना / समूह एनएबीएल प्रत्यापित प्रयोगशालाओं में एनसीओएफ / आरसीओएफ / राज्य विभागों के माध्यम से अपशिष्ट विश्लेषण	0	100	100	200	4000	2.00
ग. डीबीटी के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन							

5.	प्रत्यक्ष रूप से किसानों के खाते में डीबीटी के रूप में प्रदान किए जाने वाले जैविक रूपांतरण, इनपुट, ऑन-फार्म इनपुट अवसंरचना हेतु किसानों को प्रोत्साहन	12500	10000	10000	32500	650000	325.00
घ. मूल्य संवर्धन, विपणन तथा प्रचार							
6.	विपणन, सामान्य पैकेजिंग, ब्रांडिंग, स्पेस रेंट, परिवहन इत्यादि हेतु सहायता		500	1000	1500	30000	15.00
7.	प्रत्येक मामले के आधार पर एफपीसी / एफपीओ के माध्यम से मूल्य संवर्धन अवसंरचना का सृजन	0	1000	1000	2000	40000	20.00
8.	राष्ट्रीय व्यापार मेलों में ब्रांड निर्माण, व्यापार मेला, प्रदर्शनियों, स्थानीय प्रचार, जैविक मेला / उत्सव, स्थानीय विपणन पहल, सहभागिता	2000	2000	2000	6000	120000	60.00
9.	अग्रणी किसानों से परामर्श / सेवाएं (स्थान तथा दिनांक आईएनएम विभाग डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा निर्धारित किया जाएगा)	300	500	500	1300	26000	13.00
	कुल	17300	16100	16600	50,000	10,00,000	500.00

टिप्पणी : प्रति 1000 हे. के 487.00 रूपए लाख प्रति क्लस्टर

* मूल्य संवर्धन अवसंरचना निर्माण के संबंध में प्रस्तावों पर एफपीसी / एफपीओ के माध्यम से केस-टू-केस आधार पर अलग से विचार किया जाएगा।

किससे सम्पर्क किया जाए ?

* राज्य स्तर पर : राज्य के निदेशक (बागवानी / कृषि)

* जिला स्तर पर : जिला बागवानी अधिकारी, राज्यों के जिला कृषि अधिकारी / परियोजना निदेशक आत्मा

5 बागवानी – अधिक आय के लिए फलों, सब्जियों और फूलों की खेती

क्या करें ?

* कम भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए बागवानी फसलों को उगाएं।
* अच्छी फसल के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का इस्तेमाल करें।
* अधिक समय तक फलों और सब्जियों को ताजा रखने के लिए शीत-भंडारण सुविधाएं / शीत गृहों का इस्तेमाल करें।
* फसल कटाई, स्वच्छता उपायों, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के सही तरीकों को अपनाकर अधिक आय अर्जित करें।
* पोली-हाउसों और लो-टनल में गैर मौसमी सब्जियों और फलों का उत्पादन करें।

क्या पायें ?

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
क : बागवानी के तहत				
1.	सब्जी बीज उत्पादन (अधिकतम 5 हे० / लाभार्थी)			
	(क) खुली परागण वाली फसलें	(क) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%, सामान्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए 35%, पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी राज्यों, टीपीसी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के लिए 50% जो कि 5 हेक्टेयर तक सीमित है। प्रत्येक फसल के लिए बीज का निवेश लक्ष्य संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है।	(क) खुली परागण वाली फसलों के लिए रू. 35,000/- प्रति हे०	एमआईडीएच के तहत एनएचएम और एचएमएनईएच की उप-स्कीमें

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ख) संकर बीज	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%, सामान्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए 35%, पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के लिए 50% जो कि 5 हेक्टेयर तक सीमित है। निधियां निर्मुक्त करने से पहले प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रत्येक फसल के लिए बीज का निवेश लक्ष्य संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है।	(ख) रू. 1.50 लाख प्रति हे०	– तदैव –
2.	हाई-टैक पौधशाला (4 हे० प्रति इकाई)	रू. 100 लाख प्रति इकाई तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%, निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध पश्चवर्ती राजसहायता लागत की 40% की दर पर दी जाएगी। बशर्ते कि प्रोरेट आधार पर परियोजना आधारित कार्यकलाप के रूप में अधिकतम 4 हे० क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा 40 लाख रू./प्रति इकाई हो। प्रत्येक पौधशाला में प्रति वर्ष 1 हे० भूमि पर अधिदेशित बारहमासी फलों / वृक्ष प्रजातियों / संबंधित वृक्षों / रोपण फसलों के कम से कम 50000 पौधे उगाए जाएंगे जिनकी गुणवत्ता को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।	रू. 25.00 लाख प्रति हे०	– तदैव –

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
3.	लघू पौधशाला (1 हे० प्रति इकाई)	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%, और निजी क्षेत्र के मामले में लागत की ऋण संबद्ध पश्चवर्ती राजसहायता बशर्त कि परियोजना आधारित कार्यकलाप के रूप में रू. 7.50 लाख प्रति इकाई हो। प्रत्येक पौधशाला में प्रति वर्ष अधिदेशित बारहमासी वानस्पतिक रूप से प्रसारित फलों / पादपों / वृक्ष प्रजातियों / सुगंधित वृक्षों संबंधित वृक्षों / रोपण फसलों के कम से कम 25000 पौधे उगाए जाएंगे जिनकी गुणवत्ता को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।	रू. 15.00 लाख प्रति हे०	– तदैव –
4.	नए उद्यानों की स्थापना (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हे० क्षेत्र के लिए क्षेत्र विस्तार)			
	I. फल			
	(क) गहन फसलों की लागत			
	(i) अंगूर, कीवी, पैशन फल आदि जैसे फलों की फसलें (ड्रिप टपक सिंचाई के साथ)	ड्रिप सिंचाई, ट्रेलिज और आईएनएम / आईपीएम के लिए रोपण सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 1.60 लाख (लागत का 40%) (60:20:20 की तीन किस्तों में बशर्त कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित की जाए)। पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता।	4.00 लाख रू. प्रति हे०	– तदैव –

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(i) फल (टपक सिंचाई के बिना)	60:20:20 की तीन किस्तों में रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम के खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.50 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) बशर्ते कि जीवित रोप की संख्या, दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित की जाए। पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता।	रू. 1.25 लाख प्रति हे०	- तदैव -
	(ख) स्ट्राबेरी			
	(i) ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग सहित समेकित पैकेज	ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और आईएनएम / आईपीएम के लिए रोपण सामग्री और सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 1.12 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) एक किस्त में।	रू. 2.80 लाख प्रति हे०	- तदैव -
	(ii) समेकन के बगैर	आईएनएम / आईपीएम के लिए रोपण सामग्री और आईएनएम लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.50 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) एक किस्त में। उपर्युक्त (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता।	रू. 1.25 लाख प्रति हे०	- तदैव -
	(ग) केला संकर			
	(i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई और आईएनएम / आईपीएम के लिए सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.80 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)।	रू. 2.00 लाख प्रति हे०	- तदैव -

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम सामग्री की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.35 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)। उपर्युक्त (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दो किस्तों में दी जाएगी।	रू. 87,500 प्रति हे०	- तदैव -
	(घ) अनानास (संकर)			
	(i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई और आईएनएम / आईपीएम के लिए सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 1.20 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में।	रू. 3.00 लाख प्रति हे०	- तदैव -
	(ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.35 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)। उपर्युक्त (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी।	रू. 87,000 प्रति हे०	- तदैव -
	(ङ) केला (उत्तक-संवर्धन)			
	(i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	ड्रिप प्रणाली, आईएनएम / आईपीएम आदि के लिए रोपण सामग्री और सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधि कतम रू. 1.20 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)	रू. 3.00 लाख प्रति हे०	- तैदव -

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.50 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25) उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी (75:25)।	रू. 1.25 लाख प्रति हे०	– तदैव –
	(च) अनानास (उत्तक-संवर्धन)			
	(i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	ड्रिप प्रणाली, रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम आदि के लिए सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 2.20 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)	रू. 5.50 लाख प्रति हे०	– तदैव –
	(ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.50 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25) उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी (75:25)	रू. 1.25 लाख प्रति हे०	– तदैव –
	(छ) पपीता			
	(i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	आईएनएम / आईपीएम के लिए रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई और सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.80 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)	2.00 लाख रू. प्रति हे०	– तदैव –

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.30 लाख प्रति हे० (लागत का 50%) दो किस्तों में। उपर्युक्ततक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से दो किस्तों में सहायता (75:25)	60,000 रू. प्रति हे०	– तदैव –
	(ज) अत्यधिक घनत्व वाले उद्यान (मेढ़ पर उद्यान)			
	(i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	ड्रिप सिंचाई, आईएनएम / आईपीएम और कैनोपी प्रबंधन के लिए 60:20:20 की तीन किस्तों में रोपण सामग्री और सामग्री लागत खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.80 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) बशर्ते कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित)	2.00 लाख रू. प्रति हे०	– तदैव –
	(i) समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.50 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) तीन किस्तों में। उपर्युक्त (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को लागत के 50 की दर से किस्तों में सहायता (75:25)	1.25 लाख रू. प्रति हे०	– तदैव –
	(i) सघन रोपण हेतु सामग्री (आम, अमरूद, लीची, अनार, सेब, नींबू आदि)			

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रोपण सामग्री, ड्रिप प्रणाली लागत, आईएनएम / आईपीएम, कैनोपी प्रबंधन आदि के लिए 60:20:20 की तीन किस्तों में खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.60 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) बशर्त कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित)	रू. 1.50 लाख रू. प्रति हे०	– तदैव –
	(ii) समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम प्रति हे० 0.40 लाख रू. (लागत का 40%) तीन किस्तों में 60:20 :20) उपर्युक्तत (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को 60:20:20 की तीन किस्तों में लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी। बशर्त कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर से निर्धारित की जाए।)	रू. 1.00 लाख प्रति हे०	– तदैव –
ख. लागत प्रभावी फसलों के अलावा फलों की अन्य फसल				
	(क) सामान्य दूरी का उपयोग करके लागत प्रभावी फसलों के अलावा फलों की अन्य फसलें			
	(i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रोपण सामग्री, ड्रिप प्रणाली लागत, आईएनएम / आईपीएम, कैनोपी प्रबंधन आदि के लिए 60:20:20 की तीन किस्तों में खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम 0.40 लाख रू. प्रति हे० (लागत का 40%) बशर्ते कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित की जाए) और गैर बारहमासी फसलों के लिए अदायगी 75:25 की दो किस्तों में की जाए।	रू. 1.00 लाख प्रति हे०	– तदैव –

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम प्रति हे० 0.30 लाख रू. (लागत का 50%) सभी राज्यों को तीन किस्तों में। उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से तीन किस्तों में सहायता दी जाएगी।	रू. 60,000 प्रति हे०	– तदैव –
5.	मसाले (अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी के लिए)			
	(i) बीज वाले मसाले और जड़ वाले मसाले	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम प्रति हे० 12,000 रू. लागत का 40%)	रू. 30,000/– प्रति हे०	– तदैव –
	(ii) बारहमासी मसाले (काली मिर्च, दाल चीनी, लौंग और जायफल)	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम सामग्री लागत पर खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम 20000 हजार रू. प्रति हे० (लागत का 40%) उपर्युक्त (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता।	रू. 50,000 प्रति हे०	– तदैव –
6.	फूल (प्रति लाभार्थी 2 हेक्टेयर के लिए)			
	(i) कट पुष्प	सामान्य क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत का 40%, अन्यन श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25% तथा पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को लागत का 50%	(i) रू. 1.00 लाख प्रति हे०	– तदैव –
	(ii) कन्द पुष्प		(ii) रू. 1.5 लाख प्रति हे०	
	(iii) लूज पुष्प		(iii) रू. 40,000 प्रति हे०	

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
7.	सुगंधित पादप (प्रति लाभार्थी 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए)			
	(i) लागत प्रभावी सुगंधित पादप (पचौली, जिरेनियम, रोजमेरी आदि)	रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम सामग्री के लागत पर खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम 40,000 हजार रू. प्रति हे० के तक सीमित (लागत का 40%)	(i) 1,00,000 रूपए प्रति हेक्टेयर	– तदैव –
	(ii) अन्य – सुगंधित पादप	(ii) रोपण सामग्री और आईएनएम / आईपीएम सामग्री लागत पर खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 16,000 प्रति हे० के तक सीमित (लागत का 40%) उपर्युक्तों (i) और (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी।	(ii) रू. 40,000 प्रति हे०	– तदैव –
8.	रोपण फसलें (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए)			
	(i) काजू और कोको			
	(अ) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	60:20:20 की तीन किस्तों में ड्रिप प्रणाली आईएनएम / आईपीएम, रोपण सामग्री और सामग्री लागत पर खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.40 लाख प्रति हे० (लागत का 40%) बशर्ते कि दूसरे वर्ष में 50% और तीसरे वर्ष 90% की दर निधारित की जाए।	रू. 1.00 लाख प्रति हे०	– तदैव –

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ख) समेकन के बिना	रोपण सामग्री पर व्यय को पूरा करने के लिए रू. 0.20 लाख प्रति हेक्टेयर और दो वर्ष में 75 प्रतिशत और तीन वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवन दर के अध्यधीन 60:20:20 की तीन किश्तों में आईएनएम / आईपीएम हेतु सामग्री पर लागत। उपर्युक्त में (क) और (ख) के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामलों में टिएसपी क्षेत्रों, अण्डमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह हेतु तीन किश्तों में लागत की 50 प्रतिशत की दर पर सहायता उपलब्ध।	रू. 50,000/- प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
9.	मशरूम			
	(i) उत्पादन इकाई	ऋण से जुड़ी राजसहायता के रूप में आधारभूत अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र हेतु लागत का 40 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत।	रू. 20 लाख / यूनिट	- तदैव -
	(ii) स्पॉयल मेकिंग इकाई	ऋण से जुड़ी राजसहायता के रूप में आधारभूत अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र हेतु लागत का 40 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र हेतु कम्पोस्टिंग लागत का 100 प्रतिशत	रू. 15 लाख / इकाई	- तदैव -
	(iii) कम्पोस्ट मेकिंग इकाई	ऋण से जुड़ी राजसहायता के रूप में आधारभूत अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र हेतु लागत का 40 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत।	रू. 20 लाख / इकाई	- तदैव -
10.	जराजीर्ण बागों का पुनरूद्धार / प्रतिस्थापन, कनौपी प्रबंधन	रू. 20,000 / हेक्टेयर अधिकतम के अध्यधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत। (दो हेक्टेयर / लाभार्थी अधिकतम)	रू. 40,000/- प्रति हेक्टेयर	- तदैव -

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
11.	जल संसाधन सृजन			
	(i) सामुदायिक टैंक / ऑन फार्म तालाब / प्लास्टिक / आरसीसी लाईनिंग के उपयोग के साथ फर्म जलाशय	कमान क्षेत्र के 10 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए लागत का 100 प्रतिशत जिसमें तालाब का आकार 100 मीटर x 100 मीटर x 03 मीटर होगा अथवा समुदाय / किसान समूह द्वारा मालिकाना हक वाले न्यूनतम 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म अथवा आरसीसी लाईनिंग का उपयोग करके कमान क्षेत्र को देखते हुए आनुपातिक आधार पर अन्य कोई छोटा आकार। नॉनलिंक्ड तालाबों / टैंकों (केवल काली कपास मृदा में) लागत 30 प्रतिशत से कम होगी। सहायता प्लास्टिक / आरसीसी लाईनिंग की लागत तक प्रतिबंधित होगी। तथापि गैर मनरेगा लाभार्थियों के लिए लाईनिंग के साथ-साथ तालाब / टैंक के निर्माण सहित कुल लागत पर सहायता योजना के तहत प्राप्त की जा सकती है।	मैदानी क्षेत्रों में 20.00 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25 लाख रूपए प्रति इकाई।	- तदैव -
	(ii) जल संचयन पद्धति - रू. 125 प्रति क्यूबिक मीटर की दर पर 20 मीटर x 20 मीटर x 3 मीटर तालाब / ट्यूबवेल में जल भंडारण के लिए	300 माईक्रोन प्लास्टिक / आरसीसी लाईनिंग सहित लागत का 50 प्रतिशत। नॉनलिंक्ड तालाबों / टैंकों (केवल काली कपास मृदा में) के लिए लागत 30 प्रतिशत से कम होगी। छोटे आकार के तालाबों / डगवेल्स के लिए लागत कमान क्षेत्र को देखते हुए आनुपातिक आधार पर ग्राह्य होगी। इसका रख-रखाव लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	मैदानी क्षेत्रों में 1.50 लाख रूपए / इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.80 लाख रूपए / इकाई	- तदैव -
12.	सरंक्षित खेती			
	1. ग्रीन हाऊस संरचना			

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(क) पंखा और पैड सिस्टम	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर के अधिकतम क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत	रू. 1650 / वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्र तक) 1465 रूपए प्रति वर्ग मीटर (>500 वर्ग मीटर से 1008 वर्ग मीटर तक) 1420 रूपए प्रति वर्ग मीटर (>1008 वर्ग मीटर से 2080 वर्ग मीटर तक) 1400 रूपए प्रति वर्ग मीटर (>2080 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक) उपर्युक्त दर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह दर 15 प्रतिशत अधिक होगी।	- तदैव -
	(ख) प्राकृतिक हवादार पद्धति			
	(i) ट्यूबलर संरचना	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत	1060 रूपए / वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर तक) रूपए 935 / वर्ग मीटर (>500 वर्ग मीटर से 1008 वर्ग मीटर) 890 रूपए / वर्ग मीटर (>1008 वर्ग मीटर से 2080 वर्ग मीटर) 844 रूपए / वर्ग मीटर (>2080 वर्ग मीटर 4000 वर्ग मीटर तक) उपर्युक्त दर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह दर 15 प्रतिशत अधिक होगी।	- तदैव -
	(ii) लकड़ी संरचना	20 इकाई प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं)	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 540 रूपए / वर्ग मीटर और 621 रूपए / प्रति वर्ग मीटर	- तदैव -

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(iii) बांस निर्मित संरचना	20 इकाई प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं)	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू. 450 / वर्ग मीटर और रू. 518 / वर्ग मीटर	– तदैव –
	2. शेड नेट हाऊस :			
	(क) ट्यूबलर संरचना	लागत का 50 प्रतिशत लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा तक	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू. 710 / वर्ग मीटर और रू. 816 / वर्ग मीटर	– तदैव –
	(ख) लकड़ी की संरचना	लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं) 20 इकाई प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू. 492 / वर्ग मीटर और रू. 566 / प्रति वर्ग मीटर	– तदैव –
	(ग) बांस निर्मित संरचना	20 इकाई प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं)	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू. 360 / वर्ग मीटर और रू. 414 / प्रति वर्ग मीटर	– तदैव –
	3. प्लास्टिक टनल	1000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित लागत की 50% सहायता	रू. 60 / वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू. 75 / वर्ग मीटर	– तदैव –
	4. वॉक इन टनल	प्रति लाभार्थी 5 इकाइयों तक लागत की 50% सहायता (प्रत्येक इकाई 800 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए)	रू. 600 / वर्ग मीटर	– तदैव –
	5. पंक्षी / ओला से बचाव हेतु जाल	लागत की 50% सहायता 5000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रू. 35 / वर्ग मीटर	– तदैव –
	6. पोली हाउस में उगाई जाने वाली मूल्यवान सब्जियों की रोपण सामग्री और खेती की लागत।	लागत की 50% सहायता 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रू. 140 / वर्ग मीटर	– तदैव –

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	7. पोली हाउस और शेड नेट हाउस में आर्किड और एंथ्यूरियम की रोपण सामग्री और खेती की लागत	लागत की 50% सहायता 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रू. 700 प्रति वर्ग मीटर	- तदैव -
	8. पॉली हाउस / शेड नेट हाउस में कार्नेशन और जरबेरा की रोपण सामग्री और खेती की लागत	लागत की 50% सहायता 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रू. 610 प्रति वर्ग मीटर	- तदैव -
	9. पोली हाउस / शेड नेट हाउस में गुलाब और लिली की रोपण सामग्री और खेती की लागत	लागत की 50% सहायता 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रू. 426 प्रति वर्ग मीटर	- तदैव -
	10. प्लास्टिक मल्चिंग	कुल लागत की 50% सहायता 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रू. 32,000 प्रति हेक्टेयर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू. 36,800 प्रति हेक्टेयर	- तदैव -
13.	समेकित पोषक प्रबंधन (आईएनएम) और समेकित कीट प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देना			
	(i) आईएनएम / आईएनएम को बढ़ावा	रू. 4.00 लाख प्रति लाभार्थी तक सीमित अधिकतम रू. 1200 प्रति हेक्टेयर के अध्यधीन लागत की 30% सहायता।	रू. 4000 प्रति हेक्टेयर	- तदैव -

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) पौध रोग पूर्वानुमान इकाई (पीएसयू)	लागत की 100% सहायता	रू. 6.00 लाख प्रति इकाई	– तदैव –
	(iii) जैव – नियंत्रण इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता और निजी क्षेत्र को 50% सहायता।	रू. 90.00 लाख प्रति इकाई	– तदैव –
	(iv) पादप स्वास्थ्य क्लिनिक	सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता और निजी क्षेत्र को 50% सहायता।	रू. 25.00 लाख प्रति इकाई	– तदैव –
	(v) पत्ते / उत्तक विश्लेषण प्रयोगशालाएं	सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता और निजी क्षेत्र को 50% सहायता।	रू. 25.00 लाख प्रति इकाई	– तदैव –
14.	जैविक खेती			
	(i) जैविक खेती को अपनाना	3 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी के लिए रू. 10000 प्रति हेक्टेयर तक सीमित लागत की 50% सहायता जिसमें प्रथम वर्ष के लिए 4 हजार सहायता		रू. 20,000 प्रति हेक्टेयर
	(ii) जैविक प्रमाणीकरण	50 हेक्टेयर के समूह के लिए रू. 5 लाख जिसमें रू. 50 लाख के क्लस्टर के लिए रू. 5 लाख, जिसमें प्रथम वर्ष में रू. 1.50 लाख, दूसरे वर्ष में रू. 1.50 लाख, तीसरे वर्ष में रू. 2.00 लाख।	परियोजना आधारित	– तदैव –
	(iii) वर्मी कम्पोस्ट इकाईयां / जैविक आदान उत्पादन	आनुपातिक आधार पर प्रशासित किए जाने के लिए 30'x8'x2.5 आकार वाली स्थायी संरचना की इकाई के आकार के अनुरूप लागत की 50% सहायता। एचडीपीई वर्मी बेड के लिए आनुपातिक आधार पर 96 घन फीट (12'x4'x2) और आईएस 15907:2010 आकार वाली इकाई के अनुरूप लागत की 50% सहायता।	स्थायी संरचना के लिए रू. 100,00 प्रति इकाई और एचडीपीई वर्मी–बेड के लिए रू. 16,000 प्रति इकाई।	– तदैव –
15.	1. समेकित फसलोपरान्त प्रबंधन			

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(i) पैक हाऊस	पूंजी लागत का 50%	9 मीटर x 6 मीटर आकार वाली प्रत्येक इकाई के लिए रू. 4 लाख।	एमआईडीएच के अंतर्गत एनएचएम, एचएमएनईएच और एनएचबी की उप-स्कीम
	(ii) कन्वेयर वेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाइयों, धुलाई, शुष्कन और तौलने की सुविधा वाले समेकित पैक हाउस	एकल उद्यमियों के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत सहायता	9 मीटर x 18 मीटर आकार वाली प्रत्येक इकाई के लिए रू. 50 लाख।	- तदैव -
	(iii) प्री - कूलिंग इकाई	एकल उद्यमियों के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत सहायता	6 एमटी की क्षमता वाली प्रत्येक इकाई के लिए रू. 25 लाख	- तदैव -
	(iv) शीत कक्ष (स्टेजिंग)	प्रत्येक लाभार्थी के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत सहायता।	30 एमटी की क्षमता वाली प्रत्येक इकाई के लिए रू. 15 लाख।	- तदैव -
	(v) चल पूर्व - शीतलन यूनिट	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रू. 25.00 लाख	- तदैव -
	2. शीत भंडारण (निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण)			

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(i) शीत भंडारण यूनिट टाइप 1 एकल ताप क्षेत्र के साथ बड़े चैम्बर (250 मी. टन) टाइप के साथ मूल मेजानीन निर्माण	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रू. 8,000/- प्रति मी. टन (अधिकतम 5,000 मी. टन क्षमता)	- तदैव -
	(ii) शीत भंडारण यूनिट टाइप 2 अधिक ताप और उत्पाद उपयोग के लिए पीईजी निर्माण, 6 से अधिक चैम्बर (250 मी. टन) और मूल सामग्री हस्त चालित उपकरण	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रू. 10,000/- प्रति मी. टन (अधिकतम 5,000 मी. टन क्षमता)	- तदैव -
	(iii) शीत भंडारण इकाई टाइप 2 नियंत्रण वातावरण हेतु प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के घटक पर जोड़ने के लिए रू. 10,000 प्रति मी. टन अतिरिक्त	- तदैव -

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(iv) शीत - श्रृंखला का प्रौद्योगिकी सूची और आधुनिकीकरण	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	पीएलसी उपकरण, पैकेजिंग लाइन, डोक लेवलर, अग्रिम ग्रेडस, वैकल्पिक प्रौद्योगिकी, स्टैकिंग प्रणाली, इन्सूलेसन का आधुनिकीकरण और रेफ्रिजिरेशन आदि के लिए अधिकतम रू. 250 लाख	- तदैव -
	(v) रेफ्रिजिरेटेड परिवहन	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत की 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	9 एमटी हेतु रू. 26 लाख एनएचएम एवं एचएमएनईएच और लेजर क्षमता के लिए प्रति व्यक्ति आधार पर	- तदैव -
	(vi) प्राथमिक / चल / न्यूनतम प्रसंस्करण यूनिट	सामान्यक क्षेत्र में परियोजना लागत का 40% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 55% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रू. 25.00 लाख प्रति यूनिट	- तदैव -
	(vii) पकवन चैम्बर	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और प्रति लाभार्थी 300 मी. टन की अधिकतम के लिए पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रू. 1.00 लाख प्रति मी.	- तदैव -
	(viii) ईवापोरेटिव / न्यून ऊर्जा शीत चैम्बर (8 मी. टन)	कुल लागत का 50%	रू. 5.00 लाख प्रति यूनिट	- तदैव -

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ix) परिरक्षण यूनिट (न्यून लागत)	कुल लागत का 50%	नए यूनिट के लिए रू. 2.00 लाख प्रति यूनिट और अद्यतन के लिए रू. 1.00 लाख प्रति यूनिट	- तदैव -
	(x) न्यून लागत प्याज भंडारण संरचना (25 मी. टन)	कुल लागत का 50%	रू. 1.75 लाख प्रति यूनिट	- तदैव -
	(xi) पूसा जीरो ऊर्जा शीत चैम्बर (100 कि.ग्रा.)	कुल लागत का 50%	रू. 4000 प्रति यूनिट	- तदैव -
	(xii) समेकित शीत श्रृंखला आपूर्ति प्रणाली	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	परियोजना आधारित परियोजना का रू. 600. 00 लाख की अधिकतम लागत के साथ उपर्युक्त ग. 1 से ग. 13 के अंतर्गत सूचीबद्ध न्यूनतम दो घटकों का समानता होनी चाहिए।	- तदैव -
	कटाई पश्चात भंडारण और बांस के लिए उपचार सुविधा	लागत का 40% ऋण में जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता	रू. 25.00 लाख	- तदैव -
ग.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)			
1.	(क) वाणिज्यिक बागवानी का विकास			
	(i) खुले वातावरण में	सामान्य क्षेत्र में रू. 30.00 लाख प्रति परियोजना की सीमा तक परियोजना लागत का 40% की दर पर और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रू. 37.50 लाख की सीमा तक परियोजना लागत का 50% की दर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता	2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र कवर करने के लिए परियोजना के लिए रू. 75.00 लाख प्रति परियोजना (खजूर, जैतून और केसर के लिए रू. 125.00 लाख)	एमआईडीएच के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की उप स्कीम

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) संरक्षित संरचना	रू. 56.00 लाख प्रति परियोजना तक सीमित परियोजना लागत का 50% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता।	2500 वर्ग मी से अधिक क्षेत्र कवर करने के लिए रू. 112.00 लाख परियोजना	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) का उप स्कीम
	(iii) समेकित कटाई पश्चात् परियोजना अर्थात् पैक हाऊस, पकवन चैम्बर, रिफर वैन, खुदरा दुकान, पूर्व शीतित यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि	समग्र संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में रू. 50.75 लाख प्रति परियोजना की सीमा तक परियोजना लागत का 35 की दर पर तथा पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में रू. 72.50 लाख तक सीमित परियोजना लागत का 50% की दर पर ऋण में जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता	रू. 145.00 लाख परियोजना पूर्व शीतित, पैक हाऊस, ग्रेडिंग, पैकिंग शीत कक्ष जो व्यक्तिगत घटकों के लिए रखे गए हैं।	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की उप स्कीम
2.	बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारण एवं भंडारण का निर्माण / विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम।			
	(i) शीत भंडारण इकाई प्रकार 1–एल ताप क्षेत्र के साथ बड़े चैम्बर (250 मी. टन) प्रकार के साथ मूल मेजानिन निर्माण	परियोजना की लागत का 35% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता (पूर्वोत्तर पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50%) 5000 मी. टन से अधिक क्षमता के लिए	5000 मी. टन से अधिक 10000 मी. टन तक की क्षमता के साि परियोजना शुरू करने के लिए एनएचवी निम्न दरों पर 500 से 6500/– मी. टन के बीच की क्षमता के लिए रू. 7600 प्रति मी. टन 6501 से 8000/– मी. टन तक के बीच क्षमता के लिए रू. 7200 प्रति मी. टन के बीच की क्षमता के लिए रू. 6800 प्रति मी. टन	उप स्कीम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधीन एमआईडीएच

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता / अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम / घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) शीत भंडारण यूनिट प्रकार 2 अधिक ताप और उत्पाद उपयोग के लिए पीईजी निर्माण, 6 से अधिक चैम्बर (250 मी. टन) और मूल सामग्री हस्त चालित उपकरण	परियोजना की लागत का 35% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता (पूर्वोत्तर पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50%) 5000 मी. टन से अधिक क्षमता के लिए	5000 मी. टन से अधिक 10000 मी. टन तक की क्षमता के साथ परियोजना शुरू करने के लिए एनएचबी निम्नलिखित दरों के अनुसार 5001 से 6500 मी. टन के बीच क्षमता के लिए रू. 9500 प्रति मी. टन 9500 प्रति मी. टन के बीच की क्षमता के लिए रू. 9000 प्रति मी. टन, 8001 से 10000 मी. टन के बीच क्षमता के लिए रू. 8500 प्रति मी. टन	उप स्कीम राष्ट्रीय या बागवानी बोर्ड के अधीन एमआईडीएच
	(iii) शीत भंडारण इकाई प्रकार 2 नियंत्रण वातावरण हेतु प्रौद्योगिकी से जुड़ा	परियोजना की लागत का 35 की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता (पूर्वोत्तर पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50%) 5000 मी. टन से अधिक क्षमता के लिए	5000 मी. टन से अधिक 10000 मी. टन तक की क्षमता के साथ परियोजना शुरू करने के लिए एनएचबी निम्नलिखित दरों के अनुसार नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के घटकों पर जोड़ने के लिए अतिरिक्त रू. 10,000 प्रति मीट्रिक टन	उपस्कीम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधीन एमआईडीएच

मधुमक्खी पालन

मधुमक्खी पालन क्यों करें ?

* मधुमक्खी पालन गरीब / भूमिहीन श्रमिकों / किसानों / ग्रामीण युवकों / महिलाओं आदि द्वारा किया गया कृषि आधारित ग्रामीण कार्यकलाप है।
* भारत की विविधीकृत कृषि जलवायु स्थितियाँ मधुमक्खीपालन के लिए बेहतर क्षमता एवं अवसर प्रदान करती है।

* मधुमक्खी पालन से प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ के बिना आय एवं रोजगार सृजन होता है।
* मधुमक्खी पालन / मधुमक्खियों द्वारा नेक्टर एवं पोलन (मधु और अन्य छत्ते उत्पाद बेकार जाते) को बहुमूल्य भोजन में बदलते हैं।
* मधुमक्खी पालन से उच्च मूल्य मधुमक्खी छत्ते उत्पाद अर्थात् रॉयल, जेली, प्रोपोलिस, बी पोलन, बी वेनोम, बी ब्रेड आदि का भी उत्पादन होता है।
* मधुमक्खियाँ परागण सहायता प्रदान करते हुए विभिन्न बागवानी फसलों (फलों एवं सब्जियों) और कृषि फसलों (तिलहन, दलहन आदि) की उपज बढ़ाने में सहायता करती हैं।
* फसलों की उपज में मधुमक्खी परागण के माध्यम से कई गुना वृद्धि दर्ज की गयी है।

क्या पायें ?

क्र. सं.	घटक	एमआईडीएच के तहत अनुमोदित सहायता दर (एनएचएम / एचएमएनईएच)
1.	मधुमक्खी स्टॉक का विकास और गुणन	
i.	न्यूक्लियस (पेडिग्री) स्टॉक का उत्पादन	अनुसंधान संस्थानों / सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रूपए / परियोजना।
ii.	मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा मधुमक्खी कालोनियों का उत्पादन	लागत का 40 प्रतिशत अथवा 4.00 लाख रूपए / परियोजना (जो भी कम हो)
2.	8 फ्रेम बी कालोनियां (50 मधुमक्खी कालोनियां प्रति लाभार्थी) का वितरण	लागत का 40 प्रतिशत अथवा प्रत्येक मधुमक्खी कालोनी के लिए 800 रूपए (जो भी कम हो)
3.	मधुमक्खी छत्तों, सूपर्स आदि का वितरण (50 मधुमक्खी छत्तों, सूसर्प आदि प्रति लाभार्थी)	लागत का 40 प्रतिशत अथवा प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते, सूसर्प आदि के लिए 800 रूपए (जो भी कम हो)
4.	मधुमक्खी उपकरणों का वितरण [एसएस (4 फ्रेम) शहद एक्स्ट्रेक्टर का एक सेट और एफजीपी / एसएस के 10 कंटेनर (30 किग्रा. प्रति), 1 नेट और एक सेट अन्य टूल)], 50 मधुमक्खी कालोनियां / लाभार्थी इकाई	लागत का 40 प्रतिशत और 8000 रूपए प्रति सेट / प्रति लाभार्थी (जो भी कम हो)
5.	मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यकलापों	
	सम्मेलन / संगोष्ठी / कार्यशाला	
i.	अंतरराष्ट्रीय स्तर	10.00 लाख रूपए / इवेंट
ii.	राष्ट्रीय स्तर	5.00 लाख रूपए / इवेंट
iii.	राज्य स्तर	3.00 लाख रूपए / इवेंट
iv.	जिला स्तर	2.00 लाख रूपए / इवेंट

क्र. सं.	घटक	एमआईडीएच के तहत अनुमोदित सहायता दर (एनएचएम / एचएमएनईएच)
6.	प्रशिक्षण	
i.	राज्य के भीतर (डब्ल्यूएसटी)	1000 रूपए की दर पर प्रतिभागी / दिवस
ii.	राज्य के बाहर (ओएसटी)	परियोजना आधारित (ओएसटी)
7.	राज्य एवं भारत के बाहर दौरे	परियोजना आधारित

* मधुमक्खी पालकों / किसानों से अन्यों के बीच वैज्ञानिक मुधमक्खी पालन करने का अनुरोध किया जाता है जिसमें केवल शहद / सुपर चेम्बर से शहद निकालना, रानी एक्सकूलडर का उपयोग, फूड ग्रेड प्लास्टिक शहद कन्टेनरों का उपयोग, एसएस से बने शहद एक्स्ट्राक्टर आदि शामिल हैं जिनके लिए एमआईडीएच के तहत उपलब्ध सहायता ली जा सकती है।
* मधुमक्खी कालोनियों में कभी भी एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए।
* केवल सील्ड शहद को निकालना चाहिए।
* वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के लिए एनबीबी द्वारा जारी की गई परामर्शिकाओं को अपनाया जा सकता है।

किससे संपर्क करें ?

* जिला बागवानी अधिकारी
* राज्य सरकार के निदेशक, बागवानी
* प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, बी विंग, दूसरी मंजिल, जनपथ भवन, जनपथ रोड, नई दिल्ली, फोन नं. : 011-23325265, E-mail : nationalbeeboard.2006@gmail.com

6 बीज

क्या करें ?

* स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई बीज किस्मों, बीज दर एवं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को अपनायें।
* गेहूँ, धान, जौ, दलहन, (अरहर को छोड़कर) तिलहन (राई, सरसों, सूरजमुखी को छोड़कर) तीन वर्ष में एक बार, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, राई, सरसो एवं सूरजमुखी दो वर्ष में एक बार एवं संकर / बीटी प्रत्येक वर्ष बदलें।
* केवल अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणित बीज खरीदें और इन्हें ठंडी, सूखी और साफ जगह पर रखें।
* बोने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व बीज गुणवत्ता परीक्षण जैसे शुद्धता, अंकुरण और खरपतवार रहित होने की जाँच कर लें।

क्या पायें ?

क : बीज वितरण के लिए सहायता

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
1.	(i) संकर बीज (धान) (ii) अधिक पैदावार वाली किस्मों के प्रमाणित बीज	(i) लागत का 50%, जो रू. 10,000/- प्रति कुन्तल तक सीमित (ii) लागत का 50%, जो रू. 1,000/- प्रति कुन्तल तक सीमित 10 साल से ज्यादा पुरानी किस्मों पर और रू. 2000/- कुन्तल जो किस्में 10 साल से कम पुरानी है।	बीजीआरईआई

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
2.	बीजों का विरण (i) अधिक उपज वाली किस्मों के बीज (क) चावल एवं गेहूँ (ख) मोटे अनाज (ग) दालें (ii) संकर बीज (क) चावल (ख) मोटे अनाज	10 साल से ज्यादा पुरानी किस्मों पर रू. 10/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो 10 साल से कम पुरानी किस्मों पर रू. 20/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो 10 साल से ज्यादा पुरानी किस्मों पर रू. 15/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो 10 साल से कम पुरानी किस्मों पर रू. 30/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो 10 साल से ज्यादा पुरानी किस्मों पर रू. 25/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो 10 साल से कम पुरानी किस्मों पर रू. 50/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो रू. 100/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो रू. 100/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो	एनएफएसएम
3.	तिलहन (मूंगफली, सुरजमुखी	लागत का 50% अथवा रू. 4000/- क्वि. जो भी कम हो तिल के अतिरिक्त तिलहन के ऐसे किस्म के बीजों के लिए जो 15 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। तिल व संकर बीज जो 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, रू. 8000/- क्वि. तक सीमित होगा।	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी)
4.	सभी कृषि फसलों के लिए बीज की गुणवत्ता के सुधार हेतु गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन के लिए आधारीय / प्रमाणित बीजों के वितरण पर (भारत सरकार की हिस्सेदारी 60% एवं राज्य की हिस्सेदारी 40% एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भारत सरकार की हिस्सेदारी 90% एवं अन्य राज्यों की हिस्सेदारी 10%)	अनाज के बीजों की लागत का 50%, तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीजों की लागत का 60% प्रति एकड़ / प्रति किसान।	बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन (एसएमएसपी) बीज ग्राम कार्यक्रम घटक के अंतर्गत

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
5.	किसानों, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ इत्यादि को तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के आधारीय / प्रमाणित बीजों का वितरण, (भारत सरकार की हिस्सेदारी 60% एवं राज्य की हिस्सेदारी 40%) एवं हिमालय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भारत सरकार की हिस्सेदारी 90% एवं अन्य राज्यों की हिस्सेदारी 10%	तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीज की लागत का 75%	बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन, दालों, चारा और हरी खाद फसलों के प्रमाणित उत्पादन के तहत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन
6.	ऑयल पाम पौध	रोपण सामग्री लागत का 85% जो रू. 12000/- हे. तक सीमित किसान की सम्पूर्ण जोत रोपण क्षेत्र हेतु	एन.एम.ओ.ओ.पी.
7.	ऑयलपाम में निषेचन अवधि के लिए खेती की लागत की सहायता	चार वर्ष के लिए निषेचन अवधि की लागत का अधिकतम 50% जो रू. 20,000/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा / प्रतिवर्ष रू. 5,000/- प्रति हेक्टेयर 25 हेक्टेयर तक	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी)
8.	जूट एवं मेस्ता बीज ग्राम कार्यक्रम	उत्पादित प्रमाणित बीज के लिए रू. 5500/- प्रति क्विंटल	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल (जूट)
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय से तिलहन के प्रजनक बीजों की खरीद	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एवं भा.कृ.अनु.प. के बीज प्रभाग द्वारा नियत की गई प्रजनक बीज की पूरी लागत	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयलपाम)
ख : आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन पर सहायता			
10.	(क) संकर धान (ख) चावल और गेहूं के अधिक उपज देने वाले प्रमाणित बीज	लागत का अधिकतम 50% जो रू. 10,000/- प्रति कुन्तल तक सीमित लागत का अधिकतम 50% जो रू. 2,000/- प्रति कुन्तल तक सीमित	बीजीआरईआई

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
11.	दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, राजमा एवं मोठ	दस वर्ष पुरानी अधिक उपज वाली किस्मों के बीज रू. 50/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयलपाम)
12.	न्यूट्री-सिरियल (ज्वार, बाजरा, रागी एवं दूसरे छोटे मिलेट)	रूपये 300/- प्रति क्विंटल	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
13.	व्यक्तियों / उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों आदि सहित निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 40% की दर से पूंजीगत सब्सिडी (क्रेडिट लिंक्ड बैंक इन्डेड सब्सिडी) एवं पहाड़ी क्षेत्रों / तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50% जो रू. 150 लाख प्रति इकाई तक सीमित होगा	निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज और रोपण सामग्री के अंतर्गत सहायता हेतु उप मिशन (एसएमएसपी)
ग : सभी तिलहन फसलों के लिए			
14.	आधारीय (फाउन्डेशन) बीज उत्पादन के लिए सहायता	पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी किस्मों / संकरों के लिए रू. 2500/- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों / संकर किस्मों के लिए रू. 100/- प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्यय को पूरा करने के लिए सब्सिडी राशि का 75% किसानों और 25% उत्पादक एजेंसियों के लिए।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयल पॉम)
15.	प्रमाणित बीजों का उत्पादन	- तदैव -	- तदैव -
16.	बीज संसाधन का विकास	ड्रिप चैनल बनाने, खेत को समतल करने, खेत की घेराबंदी, कार्यालय इमारत का विद्युतीकरण, कृषि उपकरण इत्यादि को छोड़कर) (खलिहान, शुष्कीकरण सुविधा युक्त भण्डार गृह, बोरबेल / ट्यूब वेल, मोटर पम्प, स्प्रिंकलर के साथ सिंचाई सुविधा युक्त बीज संसाधन तैयार करने के लिए और मिशन फसलों के लिए बीज / रोपाई सामग्री उत्पादन में संलग्न राज्य सरकारें / राज्य बीज निगम के खेतों के लिए 50 प्रतिशत तक सहायता।	- तदैव -

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>फसल</th><th>प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता</th><th>स्कीम/घटक</th></tr>
<tr><td>15. क.</td><td>बीज अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण (केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए)

बीज प्रसंस्करण सुविधाएं</td><td>(भारत सरकार की हिस्सेदारी 100%)
1. बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना
1000, 2000, 3000 एवं 5000 मी.टन के मॉड्युलर डिजाइन के लिए सहायता (वार्षिक क्षमता गेहूं के बीज के प्रसंस्करण पर आधारित) सहायता निम्नांकित दर पर दी जाएगी।
<table>
<tr><th>मद</th><th>वार्षिक क्षमता (मीट्रिक टन)</th><th>1000 मिट्रिक टन</th><th>2000 मिट्रिक टन</th><th>3000 मिट्रिक टन</th><th>4000 मिट्रिक टन</th><th>5000 मिट्रिक टन</th></tr>
<tr><td>मुख्य उपकरण आदि</td><td>रू. लाख में</td><td>27.90</td><td>32.90</td><td>47.10</td><td>56.20</td><td>62.80</td></tr>
<tr><td>सहायक उपकरण आदि</td><td>रू. लाख में</td><td>9.90</td><td>10.10</td><td>13.90</td><td>20.70</td><td>21.30</td></tr>
<tr><td>कुल खर्च</td><td>रू. लाख में</td><td>37.80</td><td>43.00</td><td>61.00</td><td>76.90</td><td>84.10</td></tr>
</table>
2. इमारत, शेड व सुखानेवाला प्लेटफार्म बनाने के लिए
<table>
<tr><th rowspan="2">प्लांट के लिए वार्षिक क्षमता (मी. टन) के आधार पर आर्थिक सहायता</th><th colspan="3">इमारत व शेड बनाने के लिए</th><th colspan="3">सुखानेवाला प्लेटफार्म</th><th rowspan="2">कुल योग (रू. लाख में)</th></tr>
<tr><th>आकार (प्रति वर्ग मीटर</th><th>दर (प्रति वर्ग मीटर</th><th>कुल लागत (रू. लाख में)</th><th>आकार (प्रति वर्ग मीटर</th><th>दर (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>कुल लागत (रू. लाख में)</th></tr>
<tr><td>1000</td><td>450</td><td>7000</td><td>31.50</td><td>100</td><td>1200</td><td>1.20</td><td>32.70</td></tr>
<tr><td>2000</td><td>525</td><td>7000</td><td>36.75</td><td>200</td><td>1200</td><td>2.40</td><td>39.15</td></tr>
<tr><td>3000</td><td>700</td><td>7000</td><td>49.00</td><td>300</td><td>1200</td><td>3.60</td><td>52.60</td></tr>
<tr><td>4000</td><td>800</td><td>7000</td><td>56.00</td><td>400</td><td>1200</td><td>4.80</td><td>60.80</td></tr>
<tr><td>5000</td><td>1000</td><td>7000</td><td>70.00</td><td>500</td><td>1200</td><td>6.00</td><td>76.00</td></tr>
</table>
कार्यान्यन एजेंसियां अपनी जरूरत के अनुसार वांछित क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र होंगी और इसके लिए उन्हें आनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।</td><td>बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उपमिशन</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>फसल</th><th>प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता</th><th>स्कीम/घटक</th></tr>
<tr><td>15. ख.</td><td>बीज भंडारण सुविधाएं (भारत सरकार की हिस्सेदारी 100%)</td><td>बीज भंडारण सुविधाएं
पैलेट / पैक कवर, स्प्रेयर, डस्टर इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के बीज भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता। बीज के सुरक्षित भंडारण के लिए निम्न रूप में सहायता उपलब्ध है :
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>क्षमता (मीट्रिक टन)</th><th>आकार (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>दर (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>कुल लागत (रू. लाख में)</th></tr>
<tr><td>एसी/जीआई शीट के स्टोर</td><td>1000</td><td>700</td><td>7000</td><td>49.00</td></tr>
<tr><td>हवादार स्पाट रूफ स्टोर</td><td>100</td><td>700</td><td>7500</td><td>52.50</td></tr>
<tr><td>गैरनमी के स्टोर</td><td>100</td><td>100</td><td>14000</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>वातानुकुलित एवं गैरनमी स्टोर</td><td>100</td><td>100</td><td>18000</td><td>18.00</td></tr>
</table>
कार्यान्वयन एजेंसियां मॉड्युलर पैटर्न के अनुसार अपनी जरूरत की वांछित क्षमता के शक्तिशाली बीज स्टोर की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र होंगी और इसके लिए उन्हें आनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जायेगी।</td><td>बीज और रोपणा सामग्री (एसएमएसपी) पर उपमिशन</td></tr>
<tr><td colspan="4">घ : राष्ट्रीय आरक्षित बीज</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान लघु और मध्यम अवधि के बीज</td><td>1. बीज की लागत
2. रखरखाव लागत
i. प्रसंस्करण एवं पैकिंग व्यय – रू. 300/– प्रति कुन्तल
ii. परिवहन प्रभार – रू. 200/– प्रति कुन्तल
3. बीज भंडारण की लागत – 10000 कुन्टल क्षमता के लिए रू. 57.74 लाख
4. मशीनरी की खरीद, संयंत्र निर्माण, शेड लगाने एवं मंच सुखाने के लिए सहायता – 1000 कुन्टल क्षमता के लिए रू. 70.50 लाख</td><td>बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उप मिशन</td></tr>
</table>

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
		5. मेटेरियल हैंडलिंग उपकरणों की लागत के लिए – रू. 50 प्रति कुन्टल (एक बार) 6. धूमन, छिड़काव, धूल मुक्त वातावरण के रखरखाव, स्टाकिंग, डी-स्टाकिंग एवं श्रम से जुड़े अन्य कार्यों की सेवाओं के लिए – रू. 10 प्रति कुन्टल (प्रति वर्ष) 7. अस्वस्थ बीज की लागत के लिए – लक्षित स्टॉक का 10 प्रतिशत मात्रा में बीज और अनाज की कीमत के बीच के अंतर 8. कम्प्यूटरीकरण की लागत	

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/कृषि ब्लाक प्रखण्ड विकास अधिकारी/राज्य बीज निगम/परियोजना निदेशक (आत्मा)

7 पौध किस्म एवं कृषक अधिकार सुरक्षा प्राधिकरण

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार (पीपीवी एवं एफआर) सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पौधों की किस्में (नए और मौजूदा) विकसित करने वाले पौध प्रजनकों, शोध कर्ताओं और किसानों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने के लिए की गई है। पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण किसान की किस्मों को पंजीकृत करने के साथ ही पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में लगे कृषि समुदायों और किसानों को पुरस्कार/सम्मान/मान्यता भी प्रदान करता है।

किसानों के विभिन्न प्रकार के पंजीकरण

किसान, कृषि करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो भोजन या कच्चे माल के लिए जीवित जीवों को भी बढ़ा रहा है। यह शब्द आम तौर पर उन लोगों पर लागू होता है जो क्षेत्र फसलों, बागानों, अंगूर-वाटिका, कुक्कुट पालन या अन्य पशुधन बढ़ाने के संयोजन के लिए कार्य करते हैं।

* ऐसे किसान जो कृषि और प्रजनन, विकसित या बढ़ती फसलों या नई किस्म के लिये अन्य पशुधन कार्य में लगे हुए हैं पंजीकरण और अन्य सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के किस्म के प्रजनक के रूप में हकदार होंगे।
* ऐसे किसान जो चयन और संरक्षण के माध्यम से आर्थिक पौधों के लैंडरेसिस और जंगली प्रजाति के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में लगे हुए हैं वे सुधार जीन फंड से मान्यता और इनाम के लिए निर्धारित तरीके से हकदार होंगे, बशर्ते कि सामग्री के ऐसे चयन और संरक्षित किस्मों के पंजीकरण में जीनों के दाताओं के रूप में उनका उपयोग किया गया हो।

समुदाय

* किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त या पृथक रूप से किसी भी जंगली प्रजाति या पारंपरिक किस्मों को संरक्षित और परिरक्षित करता है, या उनके उपयोगी गुणों का चयन और पहचान के माध्यम से ऐसी जंगली प्रजातियों या पारंपरिक किस्मों का मूल्य संवर्धन करता है।

आप क्या करें ?

आवेदन पत्र	आवेदन शुल्क	आवश्यकता	आवेदन श्रेणी	लाभ
किसान विविधता फार्मों का पंजीकरण हमारी वेबसाइट http://plantauthority.gov.in/forms.htm में अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध है।	शून्य	विभिन्न प्रकर के बीज या प्रचार सामग्री पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकृत की जानी चाहिए।	नये / मौजूदा किसान विविधता	* किस्मों के पंजीकरण उपरांत कानूनी अधि कार * लाभ बंटवारा। * किसानों को मुआवजा। * लाइसेंस अनिवार्यता।

आप क्या प्राप्त करेंगे ?

किस्मों का पंजीकरण उपरांत कानूनी अधिकार	* किसी भी समय किए गए योगदान के संबंध में किसानों के अधिकारों को नीचे दिये अनुसार पहचानना और उनकी रक्षा करना आवश्यक माना जाता है।
	  * संरक्षण
	  * सुधार और
	  * नई पौध की किस्मों के विकास के लिए पौध आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराना।
	* देश में कृषि विकास में तेजी लाने हेतु नई पौध के किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों में, अनुसंधान और विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पौध प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।

लाभ बंटवारा	* यदि कोई संगठन, निजी कंपनी या कोई अन्य उत्पादन, विकास या प्रजनन उद्देश्यों के लिए किसान विविधता का उपयोग करता है, तब किसानों को लाभ का कुछ प्रतिशत भुगतान करना होगा। * किसान को किए जाने वाले भुगतान का प्रतिशत या राशि का निर्णय प्राधिकारी करेगा।
किसानों के लिए मुआवजा	* यदि कोई पंजीकृत किस्म दी गई शर्तों के अंतर्गत उत्पादन करने में विफल रहती है, तब किसान या किसानों का समूह या किसानों का संगठन, जैसा कि मामला हो, प्राधि करण के समक्ष निर्धारित तरीके से मुआवजे का दावा कर सकता है।
लाइसेंस अनिवार्यता	* यह सुनिश्चित करना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को आसानी से उपलब्ध हों। * यदि पंजीकृत किस्मों के प्रजनक बीज की पर्याप्त मात्रा उचित मूल्य पर उत्पादन करने में विफल रहता है, तो किसान तीसरे पक्ष को अनिवार्य लाइसेंस मांग सकता है।

पौध जीनोम रक्षक (पीजीएस) पुरस्कार

पुरस्कारों के प्रकार	आवेदन पत्र	पात्रता	आवश्यकताएं	राशि रूपये (लाख)	पुरस्कारों की संख्या
पीजीएस सामुदायिक पुरस्कार	http://plantauthority.gov.in/forms.htm आवेदन पत्रों को अध्यक्ष के माध्यम से अग्रेशित किया जाना चाहिए / संबंधित पंचायत के सचिव / जैव विविधता प्रबंधन समिति / संबंधित जिला कृषि अधिकारी / संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक / संबंधित जिला आदिम विकास कार्यालय	* भारतीय किसान समूहों, किसान समूहों, विशेषतया आदिम और ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति जो आर्थिक पौधों के जननिक संसाधन और उनकी जंगली प्रजातियों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में लगे हुए हैं।	* चयनित (शॉर्टलिस्टेड) किसानों को बीज की एक निश्चित मात्रा या प्रचारित सामग्री को प्राधिकारी के पास जमा करना है।	10	5
पीजीएस पुरस्कार		* भूमि विकास के जननिक संसाधनों और आर्थिक पौधों की जंगली प्रजातियों के चयन और परिक्षण के माध्यम से संरक्षण और परिक्षण में लगा हुआ एक किसान और इस तरह से चयनित और परिरक्षित सामग्री जो अधिनियम के तहत पंजीकृत करने योग्य किस्मों में जननिक दाता के रूप में प्रयोग किया जाता है।	* चयनित (शॉर्टलिस्टेड) किसानों को बीज की एक निश्चित मात्रा या प्रचारित सामग्री को प्राधिकारी के पास जमा करना है।	1.5	10
पीजीएस प्रशस्ति पत्र		* पीजीएस पुरस्कारों में किये गये उल्लेखानुसार	* चयनित (शॉर्टलिस्टेड) किसानों को बीज की एक निश्चित मात्रा या प्रचारित सामग्री को प्राधिकारी के पास जमा करना है।	1	20

8 कृषि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी

क्या करें?

* भूमि के क्षेत्रफल और फसल के अनुसार उपयुक्त मशीनरी / उपकरण की खरीद करें।
* किसान भाई कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनरी या उपकरण भाड़े पर लेकर अथवा आपस में साझा कर प्रयोग करें।
* संसाधन संरक्षण – जीरो टिल सीड ड्रिल, लेजर, लेवलर, हैप्पी सीडर, रोटोवेटर आदि का प्रयोग करें।
* कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि मशीनरी के उचित उपयोग एवं सामयिक रख-रखाव तथा मरम्मत का प्रशिक्षण प्राप्त करें।

क्या पायें ?

क : एमएमएएम के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन

1. कृषि यन्त्रों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
ट्रैक्टर				
(i) ट्रैक्टर 2WD (08-20 पीटीओ एचपी)	Rs. 2.00 Lakh	50%	Rs. 1.60 Lakh	40%
(ii) ट्रैक्टर 4WD (08-20 पीटीओ एचपी)	Rs. 2.25 Lakh	50%	Rs. 1.80 Lakh	40%
(iii) ट्रैक्टर 2WD (20-40 पीटीओ एचपी से ऊपर)	Rs. 2.50 Lakh	50%	Rs. 2.00 Lakh	40%
(iv) ट्रैक्टर 4WD (20-40 पीटीओ एचपी से ऊपर)	Rs. 3.00 Lakh	50%	Rs. 2.40 Lakh	40%
(v) ट्रैक्टर 2WD (40-70 पीटीओ एचपी से ऊपर)	Rs. 4.25 Lakh	50%	Rs. 3.40 Lakh	40%
(vi) ट्रैक्टर 4WD (40-70 पीटीओ एचपी से ऊपर)	Rs. 5.00 Lakh	50%	Rs. 4.00 Lakh	40%
पावर टिलर				
(i) पावर टिलर (8 बीएचपी से नीचे)	Rs. 0.65 Lakh	50%	Rs. 0.50 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(ii) पावर टिलर (8 बीएचपी से ऊपर)	Rs. 0.85 Lakh	50%	Rs. 0.70 Lakh	40%
धान रोपाई यन्त्र				
स्वयंचालित धान प्रतिरोपक (4 पंक्तियां)	Rs. 1.50 Lakh	50%	Rs. 1.20 Lakh	40%
स्वचालित धान रोपाई यन्त्र (i) 4-8 पंक्तियों से ऊपर (ii) 8-16 पंक्तियों से ऊपर	 Rs. 5.00 Lakh Rs. 8.00 Lakh	50%	 Rs. 4.00 Lakh Rs. 6.50 Lakh	40%
स्वयं चालित मशीनरी				
रीपर कम बाइंडर (3 पहिया) रीपर कम बाइंडर (4 पहिया)	Rs. 1.75 Lakh Rs. 2.50 Lakh	50%	Rs. 1.40 Lakh Rs. 2.00 Lakh	40%
विशेष स्वयं चालित मशीनरी (i) रीपर (ii) पोस्ट होल डिगर / ओगर (iii) न्यूमेटिक / अन्य बोने की मशीन	 Rs. 0.75 Lakh Rs. 0.75 Lakh Rs. 0.90 Lakh	50%	 Rs. 0.60 Lakh Rs. 0.60 Lakh Rs. 0.70 Lakh	40%
स्वयं चालित बागवानी मशीनरी (i) ट्रैक ट्रॉली (ii) नर्सरी मीडिया फीलिंग मशीन (iii) बहुउद्देशीय हाईड्रोलिक सिस्ट्म (iv) विद्युत चालित बागवानी यन्त्र (बडिंग, ग्रेटिंग, सेयरिंग आदि)	 Rs. 2.00 Lakh Rs. 2.00 Lakh Rs. 2.00 Lakh Rs. 0.50 Lakh	50%	 Rs. 1.60 Lakh Rs. 1.60 Lakh Rs. 1.60 Lakh Rs. 0.40 Lakh	40%
ट्रैक्टर / पावर टिलर (20 बीएचपी से नीचे) संचालित उपकरणों				

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
क. भूमि विकास, जुताई एवं बीच की क्यारी तैयार करने का उपकरण : (i) एमबी प्लो (ii) डिस्क प्लो (iii) कल्टीवेटर (iv) हेरो (v) लवलर ब्लेड (vi) केज वील (vii) फरो ओपनर (viii) रीजर (ix) खरपतवार स्लैशर (x) फर्रो ओपनर (xi) बंड फॉर्मर (xii) क्रस्ट ब्रेकर (xiii) रोटोपडलर (xiv) रोटोकल्टीवेटर (xv) पॉवर हैरो	Rs. 0.20 Lakh	50%	Rs. 0.16 Lakh	40%
Chisel Plough	Rs. 0.10 Lakh	50%	Rs. 0.08 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
ख. बुवाई, रोपण, कटाई एवं खुदाई उपकरण : (i) पोस्ट होल डिगर (ii) पोटेटो प्लांटर (iii) पोटेटो डिगर (iv) ग्राउंड नट डिगर (v) स्ट्रिप टिल ड्रिल (vi) ट्रैक्टर ड्रान रीपर (vii) ओनियन हारवेस्टर (viii) राइस स्ट्रा चॉपर (ix) रेज्ड बैड प्लांटर (x) शुगरकेन कटर / स्ट्रिपर (xi) प्लांटर (xii) मल्टी क्राप प्लांटर (xiii) जीरो टिल मल्टी क्राप प्लांटर (xiv) रीज फरो प्लांटर	Rs. 0.30 Lakh	50%	Rs. 0.24 Lakh	40%
(i) न्यूमैटिक प्लान्टर (ii) न्यूमैटिक वैजिटेबिल ट्रांसप्लांटर (iii) न्यूमैटिक वैजिटेबिल सीडर (iv) प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन (v) रेज्ड बैड प्लांटर (प्लेट मुड़ी हुई व शापर लगा हुआ)	Rs. 0.50 Lakh	50%	Rs. 0.40 Lakh	40%
(i) सीड ट्रेटिंग ड्रम (ii) सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (5 टाईन) (iii) एक्वा फर्टी सीड ड्रिल (5-7 टाईन)	Rs. 0.15 Lakh	50%	Rs. 0.12 Lakh	40%
ग. अन्तर फसल उपकरणों : (i) ग्रास वीड स्लोशेर (ii) पावर वीडर (इंजिन चलित < 2 बीएचपी)	Rs. 0.25 Lakh	50%	Rs. 0.20 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
घ. अवशेष प्रबंधन / सूखी खास और चारे के लिए उपकरण : (i) गन्ना थ्रैश कटर (ii) नारियल फ्रांड कटर (iii) स्ट्रॉ रीपर (iv) स्टबल शेवर	Rs. 0.25 Lakh	50%	Rs. 0.20 Lakh	40%
ङ. फसल काटने एवं खलिहान उपकरणों (3 एचपी के नीचे इंजिन / इलैक्ट्रिकल मोटर द्वारा तथा 20 बीएचपी ट्रैक्टर के नीचे पावर टिलर एवं ट्रैक्टर द्वारा संचालित) : (i) ग्राउंड नट पॉड स्ट्रिपर (ii) थ्रैशर (iii) बहुफसली थ्रैशर (iv) पैडी थ्रैशर (v) बुश कटर (vi) विनोइंग फैन (vii) मक्का शेलर (viii) मोवर (ix) फ्लेल हार्वेस्टर (x) मोवर थ्रैशर (बहुउद्देशीय / बहुफसलीय)	Rs. 0.30 Lakh	50%	Rs. 0.25 Lakh	40%
च. भूसा कटर (3 एचपी के नीचे इंजिन / इलैक्ट्रिक मोटर द्वारा तथा 20 बीएचपी ट्रैक्टर के नीचे पावर टिलर एवं ट्रैक्टर द्वारा संचालित)	Rs. 0.20 Lakh	50%	Rs. 0.16 Lakh	40%
ट्रैक्टर चालित यन्त्र (20-35 बीएचपी)				

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
क. भूमि विकास, जुताई एवं बीज की क्यारी तैयार करने का उपकरण : (i) एमबी प्लो (ii) डिस प्लो (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) लेवलर ब्लेटड (vi) केज वील (vii) फूरो ओपनर (viii) रीजर (ix) वीड स्लैशर	Rs. 0.30 Lakh	50%	Rs. 0.25 Lakh	40%
(x) रोटोपुडलर (xi) फरो ओपनर (xii) बंड फॉर्मर (xiii) क्रस्ट ब्रेकर (xiv) रोटो कल्टीवेटर (xv) पॉवर हैरो	Rs. 0.60 Lakh	50%	Rs. 0.50 Lakh	40%
(xvi) रोटोवेटर 5 फीट	Rs. 0.42 Lakh	50%	Rs. 0.34 Lakh	40%
(i) चीसल प्लो	Rs. 0.20 Lakh	50%	Rs. 0.16 Lakh	40%
(xvii) रिवर्सिवल हाइड्रोलिक प्लो (2 बॉटम)	Rs. 0.70 Lakh	50%	Rs. 0.56 Lakh	40%
(i) रिवर्सिवल मैकेनिकल प्लो (2 बॉटम)	Rs. 0.40 Lakh	50%	Rs. 0.32 Lakh	40%
(ii) लेजर लैंड लेवलर	Rs. 2.00 Lakh	50%	Rs. 0160 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
ख. बुवाई, रोपण, कटाई एवं खुदाई उपकरण : (i) पोस्ट होल डिगर (ii) पोटेटो प्लांटर (iii) पोटेटो डिगर (iv) मूंगफली डिगर (v) स्ट्रिप टिल डिगर (vi) ट्रैक्ट्रर ड्रॉन रीपर (vii) प्याज हारवेस्टर (viii) रेज्ड बेड प्लांटर (ix) गन्ना कटर / स्ट्रीपर (x) बहुफसल प्लान्टर (xi) रिज फरो प्लान्टर	Rs. 0.40 Lakh	50%	Rs. 0.30 Lakh	40%
(i) सीड ड्रील (7 टाईन) (ii) जीरो-टिल बहुफसलीय (iii) सीड ट्रेटिंग ड्रम (iv) सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (7 टाईन)	Rs. 0.18 Lakh	50%	Rs. 0.16 Lakh	40%
(i) डायरेक्ट राईस सीडर	Rs. 0.20 Lakh	50%	Rs. 0.16 Lakh	40%
(i) न्यूमैटिक प्लांसटर (ii) न्यूमैटिक वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर (iii) न्यूमैटिक वेजिटेबल सीडर (iv) प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन (v) एक्वा फेरती सीड ड्रिल (vi) रेज्ड बैड प्लांटर (प्लेट मुड़ी हुई व शापर लगा हुआ)	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(i) हैपी / टर्बो सीडर	Rs. 0.728 Lakh	50%	Rs. 0.582 Lakh	40%
ग. अन्तः फलस उपकरण : (i) ग्रास वीड स्लैशर (ii) पावर वीडर (इंजिन चालित 2 बीएचपी के उपर)	Rs. 0.35 Lakh	50%	Rs. 0.30 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
घ. अवशेष प्रबंधन / सूखी खास और चारा उपकरणों के लिए उपकरण :				
(i) गन्ना थ्रैश चॉपर	Rs. 0.40 Lakh	50%	Rs. 0.30 Lakh	40%
(ii) नारियल फ्रांड कटर	Rs. 0.40 Lakh	50%	Rs. 0.30 Lakh	40%
(iii) रेक (छोटी क्षमता वाला)	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(iv) बेलर (गोल आकार < 14 KG / बेल)	Rs. 1.50 Lakh	50%	Rs. 1.20 Lakh	40%
(v) स्ट्रॉ रीपर	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(vi) फीड ब्लॉक मशीन 9100 से 200 किग्रा / घण्टा)	Rs. 1.50 Lakh	50%	Rs. 1.20 Lakh	40%
(vii) स्टैबल शेवर	Rs. 0.40 Lakh	50%	Rs. 0.30 Lakh	40%
(viii) स्ट्रॉ चॉपर / थ्रैडर / मल्चर माउंटेड टाइप-5 फीट	Rs. 0.672 Lakh	50%	Rs. 0.538 Lakh	40%
(ix) ट्रेलर / ट्रॉली (3 टन क्षमता तक)	Rs. 0.60 Lakh	50%	Rs. 0.50 Lakh	40%
ङ. फसल काटने एवं खलियान उपकरण यन्त्र (3 एचपी के नीचे इंजिन / इलैक्ट्रिकल मोटर द्वारा तथा 20 बीएचपी ट्रैक्टर के नीचे पावर टिलर एवं ट्रैक्टर द्वारा संचालित) :				
(i) ग्राउंडनेट पोड स्ट्रीपर (ii) थ्रैशर (iii) बहुफसली थ्रैशर (iv) पैडी थ्रैशर (v) बुश कटर (vi) मक्का शेलर (vii) मोवर (viii) फ्लैल हार्वेस्टर (ix) मोवर थ्रेडर (सभी फसल / बहुउद्देशीय)	Rs. 0.40 Lakh	50%	Rs. 0.30 Lakh	40%
(i) रीपर कम वाईन्डर (ट्रैक्टर द्वारा संचालित)	Rs. 0.125 Lakh	50%	Rs. 1.00 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
च. भूसा कटर (3 एचपी के नीचे इंजिन / इलैक्ट्रिक मोटर द्वारा तथा 20 बीएचपी ट्रैक्टर के नीचे पावर टिलर एवं ट्रैक्टर द्वारा संचालित	Rs. 0.28 Lakh	50%	Rs. 0.22 Lakh	40%
ट्रेक्टर चालित यन्त्र (35 बीएचपी से ऊपर)				
क. भूमि विकास, जुताई एवं बीज की क्यारी तैयार करने का उपकरण : (i) एमबी प्लो (ii) डिस प्लो (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) लेवलर ब्लेड (vi) केज व्हील (vii) फरो ओपनर (viii) रीजर	Rs. 0.50 Lakh	50%	Rs. 0.40 Lakh	40%
(ix) वीड स्लैशर	Rs. 2.00 Lakh	50%	Rs. 1.60 Lakh	40%
(x) लेजर लैंड लेवलर	Rs. 2.00 Lakh	50%	Rs. 1.60 Lakh	40%
रोटोवेटर				
(xi) 5 फीट	Rs. 0.42 Lakh	50%	Rs. 0.34 Lakh	40%
(xii) 6 फीट	Rs. 0.448 Lakh	50%	Rs. 0.358 Lakh	40%
(xiii) 7 फीट	Rs. 0.478 Lakh	50%	Rs. 0.381 Lakh	40%
(xiv) 8 फीट	Rs. 0.504 Lakh	50%	Rs. 0.403 Lakh	40%
(xv) रोटो पडलर	Rs. 1.00 Lakh	50%	Rs. 0.80 Lakh	40%
(xvi) रिवर्सिवल हाइड्रोलिक प्लो (2 बॉटम)	Rs. 0.70 Lakh	50%	Rs. 0.56 Lakh	40%
(xvii) रिवर्सिवल हाइड्रोलिक प्लो (3 बॉटम)	Rs. 0.895 Lakh	50%	Rs. 0.716 Lakh	40%
(xviii) रिवर्सिवल मैकेनिलिक प्लो (2 बॉटम)	Rs. 0.40 Lakh	50%	Rs. 0.32 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(xix) रिवर्सिवल मैकेनिलिक प्लो (3 बॉटम)	Rs. 0.50 Lakh	50%	Rs. 0.40 Lakh	40%
(xx) सब-सॉयलर	Rs. 0.55 Lakh	50%	Rs. 0.45 Lakh	40%
(xxi) ट्रेन्च मेकर (पीटीओ परिचालित)	Rs. 1.50 Lakh	50%	Rs. 1.20 Lakh	40%
(xxii) बंड फोरमर (पीटीओ परिचालित)	Rs. 1.50 Lakh	50%	Rs. 1.20 Lakh	40%
(xxiii) बैकहो लोडर डोजर (ट्रैक्टर परिचालित)	Rs. 3.50 Lakh	50%	Rs. 2.80 Lakh	40%
(xxiv) पावर हैरो (पीटीओ परिचालित)	Rs. 0.30 Lakh	50%	Rs. 0.25 Lakh	40%
(xxv) फरो ओपनर	Rs. 0.30 Lakh	50%	Rs. 0.25 Lakh	40%
(xxvi) बंड फॉर्मर	Rs. 0.35 Lakh	50%	Rs. 0.30 Lakh	40%
(xxvii) क्रस्ट ब्रेकर	Rs. 1.00 Lakh	50%	Rs. 0.80 Lakh	40%
(xxviii) रोटो कल्टीवेटर	Rs. 1.00 Lakh	50%	Rs. 0.80 Lakh	40%
(xxix) पॉवर हैरो (पीटीओ परिचालित)	Rs. 1.00 Lakh	50%	Rs. 0.80 Lakh	40%
ख. बुवाई पौध रोपण, बुवाई व खुदाई उपकरण				
(i) रेज्ड बैड प्लान्टर	Rs. 0.35 Lakh	50%	Rs. 0.30 Lakh	40%
(ii) सीड ड्रिल / जीरो टिल सीड ड्रिल (9 टाईन)	Rs. 0.20 Lakh	50%	Rs. 0.16 Lakh	40%
(iii) पोटेटो डिगर	Rs. 0.40 Lakh	50%	Rs. 0.35 Lakh	40%
(iv) ट्रैक्टर चालित रीपर	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(v) प्याज हार्वेस्टर	Rs. 0.80 Lakh	50%	Rs. 0.65 Lakh	40%
सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल / जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल				
(vi) 9-टाइन	Rs. 0.213 Lakh	50%	Rs. 0.170 Lakh	40%
(vii) 11-टाइन	Rs. 0.241 Lakh	50%	Rs. 0.193 Lakh	40%
(viii) 13-टाइन	Rs. 0.269 Lakh	50%	Rs. 0.215 Lakh	40%
(ix) 15-टाइन	Rs. 0.280 Lakh	50%	Rs. 0.224 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(x) डायरेक्ट राइस सीडर (DRS)	Rs. 0.20 Lakh	50%	Rs. 0.16 Lakh	40%
(i) पोस्टर होल डिगर (ii) पोटेटो प्लांटर (आटोमेटिक) (iii) ग्राउंड नट डिगर (iv) सुगर केन कटर / स्ट्रीपर / प्लेटर (v) मल्टी क्रॉप प्लान्टर (vi) जीरो टिल मल्टी क्रॉप प्लान्टर (vii) रीज फरो प्लान्टर	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(viii) हैप्पी/टर्बो सीडर - (9–TYNE) (ix) हैप्पी/टर्बो सीडर - (10–TYNE) (x) हैप्पी/टर्बो सीडर - (11–TYNE)	Rs. 0.728 Lakh	50%	Rs. 0.582 Lakh	40%
	Rs. 0.756 Lakh	50%	Rs. 0.605 Lakh	40%
	Rs. 0.784 Lakh	50%	Rs. 0.627 Lakh	40%
(xi) न्यूमेटिक प्लानेटर (xii) न्यूमेटिक वैजिटेबल ट्रांसप्लांटर (xiii) न्यूमेटिक वैजिटेबल सीडर	Rs. 2.25 Lakh	50%	Rs. 1.80 Lakh	40%
(xiv) कसावा प्लांटर	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(xv) मैन्योर स्प्रेडर	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(xvi) फर्टिलाइजर स्प्रेडर-पीटीओ ऑपरेटिव	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(xvii) प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(xviii) ओटोमेटिक राइस नर्सरी सोइंग मशीनरी	Rs. 1.75 Lakh	50%	Rs. 1.40 Lakh	40%
(xix) एक्वा फर्टी सीड ड्रिल	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(xx) रेज्ड बैड प्लान्टर (मुड़ी हुई प्लेट व शॉपर के साथ)	Rs. 0.90 Lakh	50%	Rs. 0.70 Lakh	40%
ग. अन्त : जुताई उपकरण				
(i) ग्रास / वीड स्लैशर	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(ii) इंजन ऑपरेटर वीडर (5 BHP के उपर)	Rs. 0.63 Lakh	50%	Rs. 0.50 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(iii) वीडर (पीटीओ आपरेटेड)	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
घ. कटाई व थ्रेसिंग इक्विपमेंट (5 एचपी से अधिक के इंजन / इलैक्ट्रिकल मोटर और 35 बीएचपी से अधिक के ट्रैक्टर के द्वारा प्रचालित)				
(i) ग्राउंडनट पॉड स्ट्रीपर	Rs. 1.00 Lakh	50%	Rs. 0.80 Lakh	40%
(ii) थ्रैशर / मल्टी क्रॉप थ्रैशर (4 टन / घण्टा क्षमता)				
(iii) पैडी थ्रैशर				
(iv) चॉफ कटर				
(v) फॉरेज हार्वेस्टर				
(vi) मक्का शेलर				
(vii) क्रॉप रीपर कम बाइंडर (ट्रेक्टर चालित)	Rs. 1.50 Lakh	50%	Rs. 1.20 Lakh	40%
(viii) कंबाइन हार्वेस्टर (स्व-चालित) 14 फीट कटर बार के साथ	Rs. 8.00 Lakh	50%	Rs. 6.40 Lakh	40%
(ix) ट्रेक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर-10 फीट तक	Rs. 3.00 Lakh	50%	Rs. 2.40 Lakh	40%
(x) ट्रैक टाइप कंबाइन हार्वेस्टर-6 से 8 फीट कटर बार तक)	Rs. 11.00 Lakh	50%	Rs. 8.80 Lakh	40%
(xi) ट्रैक टाइप कंबाइन हार्वेस्टर (6 फीट से नीचे तक कटर बार)	Rs. 7.00 Lakh	50%	Rs. 5.60 Lakh	40%
(xii) थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर - 4 टन / घण्टा क्षमता	Rs. 2.5 Lakh	50%	Rs. 2.00 Lakh	40%
(xiii) इन्फील्डर	Rs. 0.63 Lakh	50%	Rs. 0.50 Lakh	40%
(xiv) मोवर	Rs. 1.00 Lakh	50%	Rs. 0.80 Lakh	40%
(xv) फ्लैल हार्वेस्टर				
(xvi) मोवर थ्रेडर (बहुउद्देशीय / बहुफसलीय)				
ङ. अवशेष प्रबंधन भूसा व चारा उपकरण				
(i) शुगरकेन थ्रैश कटर	Rs. 1.25 Lakh	50%	Rs. 1.00 Lakh	40%
(ii) कोकोनेट फ्रोण्ड चौपर	Rs. 0.63 Lakh	50%	Rs. 0.50 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(iii) हे रेक	Rs. 1.50 Lakh	50%	Rs. 1.20 Lakh	40%
(iv) बेलर (गोल)-14 से 16 किलो / बेल	Rs. 2.00 Lakh	50%	Rs. 1.60 Lakh	40%
(v) बेलर (गोल)-16 से 25 किलो / बेल	Rs. 5.50 Lakh	50%	Rs. 4.40 Lakh	40%
(vi) बेलर (गोल)-180 से 200 किलो / बेल	Rs. 9.00 Lakh	50%	Rs. 7.20 Lakh	40%
(vii) बेलर (आयताकार)-18 से 20 किलो / बेल	Rs. 6.00 Lakh	50%	Rs. 4.80 Lakh	40%
(viii) वूड चीपर	Rs. 1.25 Lakh	50%	Rs. 1.00 Lakh	40%
(ix) शुगरकेन रैटून मैनेजर	Rs. 1.25 Lakh	50%	Rs. 1.00 Lakh	40%
(x) कॉटन स्टॉक अपरूटर	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
(xi) स्ट्रॉ रीपर	Rs. 1.30 Lakh	50%	Rs. 1.04 Lakh	40%
(xii) फीड ब्लॉक मशीन (200 किलो / घण्टा के उपर)	Rs. 3.00 Lakh	50%	Rs. 2.40 Lakh	40%
(xiii) स्टबल शेवर	Rs. 0.80 Lakh	50%	Rs. 0.64 Lakh	40%
स्ट्रॉ चॉपर / श्रेडर / मल्चर				
(xiv) 5 फीट माउंटेड टाइप	Rs. 0.672 Lakh	50%	Rs. 0.538 Lakh	40%
(xv) 6 फीट माउंटेड टाइप	Rs. 0.728 Lakh	50%	Rs. 0.582 Lakh	40%
(xvi) 7 फीट माउंटेड टाइप	Rs. 0.784 Lakh	50%	Rs. 0.627 Lakh	40%
(xvii) 8 फीट माउंटेड टाइप	Rs. 0.840 Lakh	50%	Rs. 0.672 Lakh	40%
(xviii) ट्रेल्ड टाइप	Rs. 1.26 Lakh	50%	Rs. 1.01 Lakh	40%
(xix) कॉम्बो टाइप	Rs. 1.40 Lakh	50%	Rs. 1.12 Lakh	40%
(xx) सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस)-कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जोड़ने के लिये	Rs. 0.56 Lakh	50%	Rs. 0.45 Lakh	40%
(xxi) श्रब मास्टर / कटर कम स्प्रेडर	Rs. 0.25 Lakh	50%	Rs. 0.18 Lakh	40%
(xxii) रोटरी स्ट्रॉ स्लैशर	Rs. 0.25 Lakh	50%	Rs. 0.18 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(xxiii) ब्रिकुत्ते मेकिंग मशीन (500 से 1000 किलो/घण्टा की क्षमता के साथ)	Rs. 5.00 Lakh	50%	Rs. 4.00 Lakh	40%
सभी मानव/पशु चालित उपकरण/औजार/यंत्र				
क : भूमि विकास, जुताई व बीज क्यारी तैयार करने के उपकरण (i) एमबी प्लो (ii) डिस प्लो (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) लेवलर ब्लेड (vi) फरो ओपनर (vii) रीजर (viii) पडलर	Rs. 0.10 Lakh	50%	Rs. 0.08 Lakh	40%
ख : बुवाई व पौध रोपण उपकरण (i) पैडी प्लांटर (ii) सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील (iii) रेज्ड बैड प्लांटर (iv) प्लांटर (v) डिब्लर (vi) पैडी नर्सरी तैयार करने का उपकरण (vii) मार्कर फॉर एसआरआई (viii) सीड ट्रेटिंग ड्रम (ix) धान-गेहूँ सीडर	Rs. 0.10 Lakh	50%	Rs. 0.08 Lakh	40%
(x) ड्रम सीडर (4 पंक्ति के नीचे)	Rs. 0.03 Lakh	50%	Rs. 0.025 Lakh	40%
(xi) ड्रम सीडर (4 पंक्ति से ऊपर)	Rs. 0.04 Lakh	50%	Rs. 0.030 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
ग : कटाई एवं थ्रैसिंग उपस्कर (i) ग्राउंड नट पॉड स्ट्रीपर (ii) थ्रैशर (iii) विनोइंग फैन (iv) ट्री क्लाइम्बर (v) हार्टिकल्चर हैंड टूल (vi) मक्का शेलर (vii) फीड ब्लाक मशीन (viii) स्पाइरल ग्रेडर	Rs. 0.10 Lakh	50%	Rs. 0.08 Lakh	40%
(ix) चीफ कटर (3' तक)	Rs. 0.05 Lakh	50%	Rs. 0.04 Lakh	40%
(x) चीफ कटर (3' से ऊपर)	Rs. 0.63 Lakh	50%	Rs. 0.05 Lakh	40%
घ : अंतः कृषि उपकरण (i) ग्रास वीड स्लाटर (ii) वीडर (iii) कोनोवीडर (iv) गार्डन हैंड टूल	Rs. 0.012 Lakh	50%	Rs. 0.010 Lakh	40%
स्वयं प्रेक्षेपित/अन्य बिजली ड्राइविंग बागवानी मशीनरी (i) चेन शॉ / व्हील बैरो / आम ग्रेडर / प्लेंटर और बागवानी फसलों के लिए अन्य उपयुक्त स्व चालित मशीनरी और उपकरण।	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
मैनुअल बागवानी उपकरण				
(i) एल्यूमिनियम सीढ़ी	Rs. 0.15 Lakh	50%	Rs. 0.12 Lakh	40%
(ii) एल्यूमिनियम पोल				
(iii) प्लकर				
कटाई पश्चात अनाज, तेल के बीज और बागवानी के लिए उपकरण	Rs. 1.80 Lakh	60%	Rs. 1.50 Lakh	50%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
उत्पादन प्रसंस्करण में उप-उत्पाद प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन, कम लागत वाले वैज्ञानिक भंडारण, पैकेजिंग इकाइयों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए पीएचटी इकाइयों की स्थापना।				
(i) मिनी चावल मिल	Rs. 2.40 Lakh	60%	Rs. 2.00 Lakh	50%
(ii) मिनी दाल मिल	Rs. 1.50 Lakh	60%	Rs. 1.25 Lakh	50%
(iii) मिलेट मिल	Rs. 5.40 Lakh	60%	Rs. 4.50 Lakh	50%
(iv) फिल्टर प्रेस के साथ तेल मिल (सभी प्रकार के बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन फसल के लिए)	Rs. 3.00 Lakh	60%	Rs. 2.50 Lakh	50%
(v) एक्सट्रैक्टर (बागवानी/खाद्य अनाज/तिलहन की फसल के सभी प्रकार के लिए)	Rs. 1.80 Lakh	60%	Rs. 1.50 Lakh	50%
(vi) अनार एरिल एक्सट्रैक्टर	Rs. 1.80 Lakh	60%	Rs. 1.50 Lakh	50%
(vii) कस्टर्ड ऐप्पल पुल्पर (सभी प्रकार के बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन की फसल के लिए)	Rs. 1.80 Lakh	60%	Rs. 1.50 Lakh	50%
(viii) हाईड्रोलिक युनिट / प्रिकिंग मशीन / हुमीडीफायर (बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन फसल के सभी प्रकार के लिए)	Rs. 1.80 Lakh	60%	Rs. 1.50 Lakh	50%
(ix) पैकिंग मशीनें (सभी प्रकार के बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन की फसल के लिए	Rs. 3.00 Lakh	60%	Rs. 2.40 Lakh	50%
(x) सभी प्रकार के पावर संचालित देहुस्कर / शेलर / थ्रेसर / हार्वेस्टर / डी-स्पाइकिंग / डेकनिंग मशीन / पीलर / स्प्लिटर / स्ट्रिपर (सभी प्रकार के बागवानी / अनाज / तेल के बीज फसलों के लिए)	Rs. 0.75 Lakh	60%	Rs. 0.60 Lakh	50%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(xi) सभी प्रकार के बॉयलर / स्टीमर / ड्रायर (सभी प्रकार के बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन की फसल के लिए)	Rs. 1.00 Lakh	60%	Rs. 0.80 Lakh	50%
(xii) सभी प्रकार की ड्रायर (बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन की फसल के लिए)	Rs. 3.50 Lakh	60%	Rs. 3.00 Lakh	50%
(xiii) सभी प्रकार की वाशिंग मशीनें (सभी प्रकार के बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन की फसल के लिए)	Rs. 0.60 Lakh	60%	Rs. 0.50 Lakh	50%
(xiv) सभी प्रकार के ग्राइंडर / पल्वलाइजर / पॉलिशर (सभी प्रकार के बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन की फसल के लिए	Rs. 0.60 Lakh	60%	Rs. 0.50 Lakh	50%
(xv) सभी प्रकार के क्लीनर सह ग्रेडर / ग्रेडियेंट सेपरेटर / विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण विभाजक (सभी प्रकार के बागवानी / खाद्य अनाज / तिलहन फसल के लिए)	Rs. 1.00 Lakh	50%	Rs. 0.80 Lakh	40%
पौध संरक्षण उपकरण				
(क) मैनुअल स्प्रेयर नैपसैक / फुट चालित स्प्रेयर	Rs. 0.0075 Lakh	50%	Rs. 0.006 Lakh	40%
(ख) पॉवर नैपसैक स्प्रेयर / पॉवर चालित स्प्रेयर (क्षमता 8–12 लीटर)	Rs. 0.031 Lakh	50%	Rs. 0.025 Lakh	40%
(ख) पॉवर नैपसैक स्प्रेयर / पॉवर चालित स्प्रेयर (क्षमता 12–16 लीटर)	Rs. 0.038 Lakh	50%	Rs. 0.03 Lakh	40%
(ग) पॉवर नैपसैक स्प्रेयर / पॉवर चालित स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)	Rs. 0.05 Lakh	50%	Rs. 0.04 Lakh	40%
(घ) ट्रैक्टर आपरेटिड स्प्रेयर (एयर कैरियर / असिस्टेड)	Rs. 1.25 Lakh	50%	Rs. 1.00 Lakh	40%
(ङ) ट्रैक्टर आपरेटिड स्प्रेयर (बूम टाइप)	Rs. 0.37 Lakh	50%	Rs. 0.28 Lakh	40%
(च) ईको फ्रेंडली लाईट ट्रैप	Rs. 0.015 Lakh	50%	Rs. 0.012 Lakh	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार (*, $)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन / उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(छ) ट्रैक्टर आपरेटेड इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर	Rs. 2.50 Lakh	50%	Rs. 2.00 Lakh	40%
(ज) बर्ड स्केरर	Rs. 0.75 Lakh	50%	Rs. 0.60 Lakh	40%
विशेष कृषि मशीनरी				
(ए) सौर संचालित / विद्युत संचालित पशु प्रतिरोधी बायोकास्टिक उपकरण (सौर पैनल के साथ)	Rs. 0.35 Lakh	50%	Rs. 0.28 Lakh	40%
(बी) सौर संचालित / विद्युत संचालित पशु प्रतिरोधी बायोकास्टिक उपकरण (सौर पैनल के बिना)	Rs. 0.25 Lakh	50%	Rs. 0.20 Lakh	40%
(सी) फसलों की नर्सरी उगाने के लिए सौर संचालित / विद्युत संचालित हाइड्रोपोनिक मशीन	Rs. 6.00 Lakh	50%	Rs. 4.80 Lakh	40%

पावर टेक ऑफ

* एफएमटीटीआई एवं अन्य नामित संस्थानों द्वारा परीक्षण किए गए उपकरणों की निदर्शी (illustrative) सूची www.frmech.gov.in पर संदर्भित की जा सकती है।

** सरकारी सहायता कार्यक्रम के तहत सभी परीक्षण उपकरण या तो एफएमटीटीआई या डीएसी के नामित संस्थान से सभी राज्यों में सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

\# उपर्युक्त कृषि उपकरण डीएसी और एफडब्ल्यू के नामित संस्थान में परीक्षण हेतु अधिकृत हैं।

$ इन कृषि मशीनरी को एफएमटीटीआईएस पर परीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है और डीएसी एवं एफडब्ल्यू द्वारा अलग से अधिसूचना द्वारा विशेष उपकरणों के लिए अधिसूचित नामित संस्थान

* राज्यों द्वारा प्रस्तावित किसी अतिरिक्त उपकरण पर डीएसी और एफडब्ल्यू द्वारा उचित श्रेणी की सहायता के तहत विचार किया जाएगा।

* परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों के विवरण हेतु कृपया पैरा 11.13 का भी संदर्भ लें।

* लागू लागत सब्सिडी मशीन की निश्चित या अधिकतम लागत के प्रतिशत तक की सीमित होगी। उपरोक्त के रूप में प्रति मशीन अनुमत सब्सिडी, जो भी कम हो ऊपर बताए अनुसार होगी।

9 किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण

क्या करें ?

* आत्मा के माध्यम से संचालित विस्तार सुधार योजना के अंतर्गत प्रखंड व निचले स्तर पर कृषि विस्तार के लिए 24,000 / प्रति ब्लॉक (1 बीटीएम एवं 3 एटीएम) विस्तार समर्पित कर्मियों की नियुक्ति का प्रावधान है। किसान अपने लिए या अपने क्षेत्र के लिए उचित तकनीकी जानकारी सरकार के किसी भी कार्यक्रम / योजना के बारे में अथवा कृषि संबंधी अन्य जानकारी के लिए इन विस्तार कर्मियों या राज्य सरकार के कृषि व संबद्ध विभागों के कर्मियों से संपर्क करें।
* फार्म स्कूल अथवा प्रदर्शन प्लाट की स्थापना करें अथवा भाग लें।
* वेबसाईट से सटीक सूचना प्राप्त करें और हस्त चालित यन्त्र से अपने खेत को पंजीकृत कराएं।
* कृषि से संबंधित नवीनतम ज्ञान व सूचना प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन (18 क्षेत्रीय केन्द्र, एक राष्ट्रीय केन्द्र एवं 180 कम क्षमता के ट्रांसमीटर), एफएम रेडियो स्टेशनों (96) अथवा निजी चैनलों पर प्रसारित कृषि कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं।
* किसान काल सेंटर / विशेषज्ञों के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए नजदीकी किसान काल सेंटर टोल मुफ्त नं. (1800-180-1551) से साल के 365 दिन प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
* कृषि में निर्धारित योग्यताधारी छात्र दो माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करके 36 प्रतिशत अनुदान (अनुसूचित जाति / जनजाति, पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों / महिलाओं के लिए 44 प्रतिशत) के साथ बैंक ऋण की सहायता से एग्री-क्लिनिक / एग्री-बिजनेस केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं।
* प्रगतिशील किसानों के लिए आयोजित भ्रमण यात्रा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें।
* मोबाइल पर बिना इंटरनेट के भी वेबसाइट द्वारा अनुदेशात्मक एसएमएस मोड से चयनित सूचना एवं सेवाएं प्राप्त करें।
* स्थानीय सूचना/जानकारी (कृषि कार्य निर्देश, डीलरों की सूची, फसल संबंधी सलाह आदि) प्राप्त करने के लिए सीधे अथवा इंटरनेट कैफे / कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसान पोर्टल देखें। किसान काल सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के लिए 51969 या 9212357123 पर एसएमएस (किसान पंजीकरण < अपना नाम >, < राज्य के पहले चार अक्षर >, < जिला के प्रथम चार अक्षर >, < ब्लाक के प्रथम चार अक्षर लिखकर) किसान स्वयं को पंजीकृत करा कर एसएमएस पोर्टल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

क्या पायें ?

क : किसानों की प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए सहायता

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम / घटक
1.	50-150 कृषकों के समूह को बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण	रू. 15,000/- प्रति समूह	बीज ग्राम कार्यक्रम
2.	50-150 कृषकों के समूह को बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण	रू. 15,000/- प्रति प्रशिक्षण क) बीज की फसल की बुवाई के समय : बीज उत्पादन तकनीक, अलगाव दूरी, बुवाई पद्धति एवं अन्य कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण। ख) फसल में फूल आने के समय ग) फसल कटाई के बाद एवं बीज प्रसंस्करण के समय।	ग्राम बीजक कार्यक्रम के जरिए तिलहनों, दलहनों, चारा और हरी खाद फसलों के प्रमाणिक बीज का उत्पादन।
3.	मान्यता प्राप्त संस्थानों में किसानों का प्रशिक्षण (वजीफा, आवास, खानपान एवं आने-जाने का परिवहन लागत किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा)	प्रति किसान रू. 5200/- प्रति माह	कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी प्रबंधन
4.	किसानों के लिए प्रशिक्षण	30 किसानों के बैच को 2 दिवसीय प्रशिक्षण के प्रति प्रशिक्षण रू. 24,000/- (रू. 400/- प्रति किसान प्रति दिन की दर से)	एनएमओओपी
5.	किसानों के समूह लिए पौध संरक्षण उपायों पर प्रशिक्षण	क) एनजीओ / निजी संस्थानों के लिए प्रति किसान खेत पाठशाला रू. 29,200/- ख) राज्य सरकार के संस्थानों के लिए रू. 26,700/-	पौध संरक्षण स्कीम
6.	विभिन्न कृषि मशीनों एवं उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव, प्रचालन एवं चयन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन	रू. 4,000/- प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह	कृषि मशीनीकरण संबंधी उप मिशन (एमएमएएम)

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम / घटक
7.	सब्जी उत्पादन व संबंधित विषयों पर किसानों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण	रू. 1500/- प्रति किसान प्रति प्रशिक्षण (परिवहन व्यय अतिरिक्त)	शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की खेती (वीआईयूसी)
8.	15-20 कृषकों के समूहों / कृषक संगठनों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय संस्थाओं तथा संग्राहकों से जोड़ना	तीन वर्षों तक विस्तारित तीन किस्तों में रू. 4075/- प्रति किसान	शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की खेती (वीआईयूसी)
9.	ग्रामीण भण्डारण योजना हेतु किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर द्वारा 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	रू. 30,000/- प्रति कार्यक्रम	ग्रामीण भण्डारण योजना
10.	किसानों के लिए अंतर्राज्य प्रशिक्षण (50 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	रू. 1250/- प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने-पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना, एनएचएम / एचएमएनईएच, एमआईडीएच के अंतर्गत उपस्कीम
11.	किसानों के लिए राज्य के अन्दर प्रशिक्षण (100 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	रू. 1000/- प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने-पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना
12.	किसानों के लिए जिले के अन्दर प्रशिक्षण (1000 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	आवासीय प्रशिक्षण में रू. 400/- प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने-पीने व रहने का खर्च शामिल है; अन्यथा रू. 250/- प्रति किसान प्रतिदिन	आत्मा योजना, एनएचएम / एनएमएनईएच एमआईडीएचके अंतर्गत उप स्कीम
13.	कृषि प्रदर्शन (125 फसल प्रदर्शन प्रति ब्लॉक)	रू. 4000/- प्रति फसल प्रदर्शन प्लाट (0.4 हेक्टेयर)	आत्मा योजना
14.	किसान पाठशाला (फसल की 6 महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर प्रति मौसम 25 किसानों को प्रशिक्षण)	रू. 29,414/- प्रति किसान पाठशाला	आत्मा योजना
15.	7 दिन का अन्तर्राज्यीय भ्रमण (4 किसान प्रति ब्लॉक)	रू. 1000/- प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने-पीने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा योजना

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम / घटक
16.	5 दिन का राज्य के अन्दर भ्रमण (32 किसान प्रति ब्लॉक)	रू. 500/- प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने-पीने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा स्कीम के अंतर्गत एनएचएम / एचएमएनईएच एमआईडीएच उप स्कीम
17.	3 दिन का जिला स्तर का प्रशिक्षण भ्रमण (100 किसान प्रति ब्लॉक)	रू. 300/- प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने-पीने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा स्कीम
18.	क) किसान समूहों का क्षमता एवं कौशल विकास व अन्य सहयोगी सेवाओं के लिए (प्रति ब्लॉक 20 समूहों के लिए) ख) आमदनीजनक कार्यों के लिए इन समूहों को एक मुश्त राशि ग) महिलाओं के खाद्य सुरक्षा समूह (प्रति ब्लॉक 2 समूह)	रू. 5,000/- प्रति समूह रू. 10,000/- प्रति समूह रू. 10,000/- प्रति समूह	आत्मा स्कीम
19.	मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं द्वारा चुने हुए गांवों में फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी) फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी) आईसीएआर संस्थानों द्वारा आयोजित फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी)	रू. 20,000/- प्रति प्रदर्शन आईसीएआर और इक्रीसॅट हैदराबाद को 100 प्रतिशत सहायता, जो मूंगफली के लिए अधिकतम रू. 12,000/- प्रति हेक्टेयर; सोयाबीन, रेपसीड, सरसों, सूरजमुखी के लिए अधिकतम रू. 7,500/- प्रति हेक्टेयर; तिल, कुसुम, तिल्ली, अलसी और एरंड के लिए रू. 6000/- प्रति हेक्टेयर और आईसीएआर द्वारा विकसित मूंगफली में पोलीथीन मल्च तकनीकी फ्रंटलाइन प्रदर्शन के लिए रू. 5000/- प्रति हेक्टेयर सहायता होगी।	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयल पॉम)
	(i) चावल, गेहूँ एवं दलहन (ii) मोटा अनाज / न्यूट्री सिरियल (iii) कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से दलहन का कलस्टर में फ्रंट लाइन फसल प्रदर्शन (एलएलडी)	रू. 9,000/- प्रति हेक्टेयर रू. 6,000/- प्रति हेक्टेयर रू. 9,000/- प्रति हेक्टेयर	एनएफएसएम एनएफएसएम एनएफएसएम

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम / घटक
20.	राज्यों द्वारा बेहतर पैकेज पद्धति का प्रदर्शन (i) चावल एवं गेहूँ (ii) दलहन (iii) मोटा अनाज / न्युट्री सिरियल केवल राज्यों द्वारा फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन (iv) चावल (v) गेहूँ एवं दलहन	 रू. 9,000/- प्रति हेक्टेयर रू. 9,000/- प्रति हेक्टेयर रू. 6,000/- प्रति हेक्टेयर रू. 15,000/- प्रति हेक्टेयर रू. 15,000/- प्रति हेक्टेयर	 एनएफएसएम एवं बीजीआरईआई एनएफएसएम एनएफएसएम एनएफएसएम एवं बीजीआरईआई एनएफएसएम
21.	वैकल्पीय व सघन तकनीकी ज्ञान का खेत स्तरीय प्रदर्शन (जूट फसल)	रू. 20,000/- प्रति प्रदर्शन (आदान के लिए रू. 17,000/- और आकस्मिक कार्य के लिए रू. 3,000/-)	- तदैव -
22.	उत्पादन तकनीकों / अन्तरफसल का खेत स्तरीय प्रदर्शन	रू. 9,000/- प्रति हेक्टेयर (आदान के लिए रू. 8,000/- और आकस्मिक कार्य के लिए रू. 3,000/-)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व्यावसायिक फसल (जूट)
23.	एकीकृत फसल प्रबंधन का फ्रंट लाइन प्रदर्शन	रू. 8,000/- प्रति हेक्टेयर (आदान के लिए रू. 7,000/- और आकस्मिक कार्य के लिए रू. 1,000/-)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व्यावसायिक फसल (कपास)
24.	देशी एवं ईएलस कपास और ईएलस कपास बीज उत्पादन का फ्रंट लाइन प्रदर्शन	रू. 9,000/- प्रति हेक्टेयर (आदान के लिए रू. 8,000/- और आकस्मिक कार्य के लिए रू. 1,000/-)	- तथैव -
25.	अंतरफसल का फ्रंट लाइन प्रदर्शन	रू. 8,000/- प्रति हेक्टेयर (आदान के लिए रू. 7,000/- और आकस्मिक कार्य के लिए रू. 1,000/-)	- तथैव -
26.	सघन पौध रोपण पद्धति का परीक्षण	रू. 10,000/- प्रति हेक्टेयर (आदान के लिए रू. 9,000/- और आकस्मिक कार्य के लिए रू. 1,000/-)	- तथैव -
27.	गन्ने के साथ अंतरफसल तथा सिंगल बड चिप तकनीक का प्रदर्शन	रू. 9,000/- प्रति हेक्टेयर (आदान के लिए रू. 8,000/- और आकस्मिक कार्य के लिए रू. 1,000/-)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व्यावसायिक फसल (गन्ना)

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम / घटक
28.	फसल आधारित प्रशिक्षण – प्रत्येक खरीफ और रबी सीजन की शुरूआत में प्रत्येक प्रशिक्षण के 4 सत्र में 30 किसानों का एक समूह (चावल / गेहूं / दालें / न्यूट्र-अनाज)	रू. 35,000/- प्रति सत्र अथवा रू. 14,000/- प्रति प्रशिक्षण	एनएफएसएम एवं बीजीआरईआई
29.	ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि मशीनों के चयन, प्रचलन और रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण।	एक से 6 सप्ताह तक की अवधि के लिए उपयोगकर्ता स्तर तक के पाठ्यक्रम के लिए साधारण श्रेणी से आने-जाने के किराये सहित प्रति किसान रू. 1,200/- वजीफा एवं नि:शुल्क आवास की व्यवस्था।	प्रशिक्षण, जांच और प्रदर्शन के जरिए कृषि मशीनों को प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण।
30.	क्षेत्रों में ब्लॉक प्रदर्शन	मूंगफली के लिए रू. 10,000/- प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए रू. 6000/- प्रति हेक्टेयर, सरसों, तिल, अलसी और नाइजर के लिए रू. 3000/- प्रति हेक्टेयर और सुरजमुखी के लिए रू. 4000/- प्रति हेक्टेयर	एनएमओओपी
31.	किसानों का प्रशिक्षण जिसमें क्षेत्र प्रदर्शन, एकीकृत कृषि, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलता, मिट्टी, पानी तथा फसल प्रबंधन की उत्तम कृषि पद्धतियों के आधार पर क्षेत्र दौरों के जरिए किसानों एवं अंशधारकों (स्टेकहोल्डरों) का क्षमता निर्माण	20 अथवा अधिक प्रतिभागियों के एक सत्र के लिए रू. 10,000/- प्रति प्रशिक्षण। 50 प्रतिभागियों अथवा अधिक से एक समूह के लिए रू. 20,000/- प्रति फसल प्रदर्शन।	एनएमएसए का आरएडी घटक
32.	मृदा स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन	खेत प्रदर्शन सहित 20 या अधिक किसानों के लिए रू. 10,000/- प्रति प्रशिक्षण सत्र, प्रति फ्रंट लाइन खेत फसल प्रदर्शन के लिए रू. 20,000/-	- तदैव -

किससे सम्पर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी / जिला बागवानी अधिकारी / परियोजना निदेशक (आत्मा)

कौशल विकास कार्यक्रम

मुख्य विशेषताएं

* कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कुशल मानव श्रम का सृजन करने के लिए ग्रामीण युवा और किसानों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
* 200 घंटे से अधिक अवधि का पाठ्यक्रम जिससे पारिश्रमिक रोजगार तथा स्व-रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
* भारतीय कृषि कौशल परिषद द्वारा विकसित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता पैक (क्यूपी) को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग तथा आईसीएआर द्वारा अपनाया जा रहा है।
* वर्ष 2018-19 में 200 घंटे की अवधि का कौशल विकास पाठ्यक्रम चयनित कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संस्थान एवं राज्य स्तर के संस्थानों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
* शिक्षित और प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण।
* भारतीय कृषि कौशल परिषद् (एएससीआई) द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन।
* कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि कौशल परिषद् (एएससीआई) द्वारा प्रमाणन

सहायता की पद्धति

* यह सभी पाठ्यक्रम ग्रामीण युवा और किसानों के लिए नि:शुल्क है।
* अभ्यर्थियों का चयन संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों (कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन संस्थानों) द्वारा किया जाता है।

किससे संपर्क करें ?

* जिला स्तर पर चयनित कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयक।
* भारतीय कृषि कौशल परिषद् (एएससीआई) - www.asci.india.com, agricoop.nic.in

इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई)

खेती उत्पादन और किसान की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कृषि–इनपुट डीलर डिप्लोमा (डीएईएसआई) शुरू किया गया।

विशेषताएँ

* फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और कृषि आदान (इनपुट) के विनियमन से संबंधित कानूनों पर इनपुट डीलरों को प्रशिक्षण देने के लिए अक्टूबर, 2015 में शुरू किया गया।
* किसानों को प्रौद्योगिकी में प्रभावी हस्तांतरण के इन इनपुट डीलरों को पैरा–एक्सटेंशन श्रमिकों में बदलन बदलने के लिए 48 कक्षा कक्ष सत्रों (40 थ्योरी + 8 फील्ड विजिट) में एक वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

सहायता की पद्धति

* कोर्स शुल्क रू. 20,000/– प्रति इनपुट डीलर भारत सरकार द्वारा रू. 10,000/– तक सब्सिडी।
* कृषि–इनपुट कंपनियां 50 प्रतिशत प्रशिक्षण लागत देकर अपने इनपुट डीलरों को भी प्रायोजित कर सकती हैं।

किससे संपर्क करें ?

* पाठ्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्र और राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएमटीआई) द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

डीजी, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), हैदराबाद,

दूरभाष संख्या : 040–24015253

www.manage.gov.in, www.agricoop.nic.in; www.agriculture.gov.in

एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस (ए.सी. और ए.बी.सी.) योजना

एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस (एसी और एबीसी) अप्रैल, 2002 से सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक बनाने, कृषि विकास का समर्थन करने और बेरोजगार युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योग्यता के साथ लाभकारी स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

विशेषताएं

* राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), हैदराबाद, एसी और एबीसी प्रशिक्षण घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
* राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एसी और एबीसी योजना के सब्सिडी घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
* 60 दिनों की अवधि का आवासीय प्रशिक्षण देश के विभिन्न हिस्सों में चयनित नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से कृषि संबंधित पाठ्यक्रमों में कृषि स्नातक, कृषि डिप्लोमा धारक, कृषि से इण्टरमीडिएट एवं कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रास्नातक के साथ स्नातकों में शिक्षित बेरोजगार उम्मीदवारों को दिया जाता है।

सहायता की पद्धति

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा लिए जाने वाले बैंक ऋण पर क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एंडेड अपफ्रंट सब्सिडी का प्रावधान है। महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यह सब्सिडी 44 प्रतिशत है और अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यह सब्सिडी 36 प्रतिशत है।

* इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत योजना के लिए रूपये 20 लाख तक और सामूहिक परियोजना के लिए रूपये 100 लाख तक के क्रेडिट सहायता का प्रावधान है।

किससे सम्पर्क करें ?

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

डीजी, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), हैदराबाद

दूरभाष संख्या : 040-24015253

www.manage.gov.in, www.agricoop.nic.in; www.agriculture.gov.in

किसान कॉल सेन्टर (केसीसी) - 1551, 18001801551

विशेषताएं

* किसान कॉल सेन्र (केसीसी) 21 जनवरी, 2004 को शुरू हुआ।
* केसीसी के लिए राष्ट्रव्यापी एकल टोल फ्री नंबर : 1800 180 1551
* यह 365 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ऑप्रेशनल है।
* किसानों के प्रश्नों को उत्तर देश के 21 स्थानों पर 22 भाषाओं में दिए जाते हैं।
* इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
* जिन प्रश्नों का उत्तर फार्म टेली एडवाइजर्स (एफटीए) द्वारा नहीं दिया जा सकता है उन्हें कॉल कॉन्फ्रेंसिंग मोड में उच्च स्तरीय विशेषज्ञों में स्थानांतरित किया जाता है।
* केसीसी, एफटीए द्वारा दिए गए उत्तर को एसएमएस द्वारा भी किसानों को भेजा जाता है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

एम-किसान पोर्टल

विभाग ने एक पोर्टल विकसित किया है - एम-किसान (mkishan.gov.in), जिससे लगभग 4.23 करोड़ किसान पंजीकृत हैं और आईएमडी, आईसीएआर, राज्य सरकार एवम् राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जैसे विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ / वैज्ञानिक किसानों को स्थानीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करते हैं।

वर्षा की किस्मों के चयन में उचित निर्णय लेने में मदद करता है। बाजार की बुवाई और कटाई के समय पर, बीज की किस्मों के चयन में उचित निर्णय लेने में मदद करता है। बाजार की जानकारी के साथ, किसानों को उत्पाद बेचने के लिए बाजारों, मौजूदा बाजार मूल्यों और बाजार में मांग की मात्रा को बेहतर तरीके से सूचित किया जाता है। इस प्रकार, वे सही समय पर सही कीमत पर उत्पाद बेचने का निर्णय ले सकते हैं। यह बाजार की आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों द्वारा बिक्री में संकट को कम करने में मदद करता है।

किसान पोर्टल

किसान पोर्टल किसानों के लिए वन-स्टॉप शॉप है जहां किसान, बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, ऋण, अच्छे कृषि प्रथाओं, डीलर नेटवर्क, इनपुट की उपलब्धता, कृषि मौसम संबंधित सलाह इत्यादि कई विषयों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी भारत के मानचित्र के सचित्र दृश्य के माध्यम से भी होम पेज पर रखा गया है।

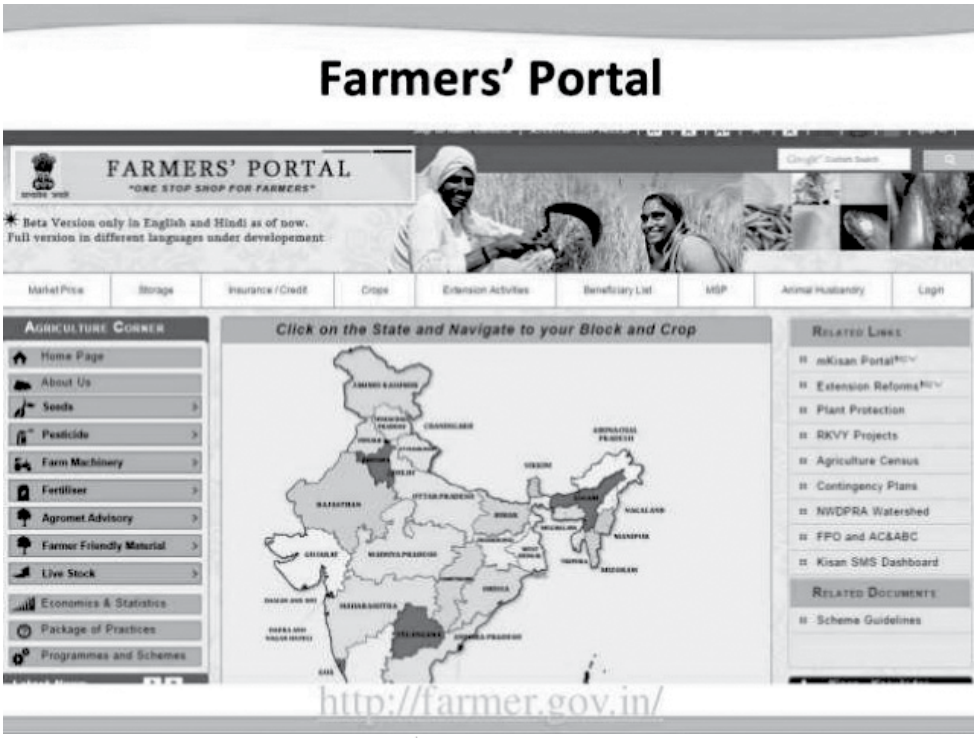

किसान सुविधा एप

* किसान सुविधा मोबइल ऐप का इस्तेमाल मोबाइल के माध्यम से किसानों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को मौसम, बाजार मूल्य, पादप संरक्षण, कृषि सलाहकार, मौसम अलर्ट, बीज, कीटनाशक, उर्वरक, फार्म मशीनरी के व्यापारी, किसान कॉल सेन्टर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, शीत भण्डार व गोदामों पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।
* यह अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, मराठी – 7 भाषाओं में उपलब्ध है।
* किसान गुगल प्ले स्टोर (Google Play Store) के माध्यम से किसान सुविधा ऐप डाउनलोड कर सकता है और सभी जानकारी मुफ्त में प्राप्त कर सकता है।

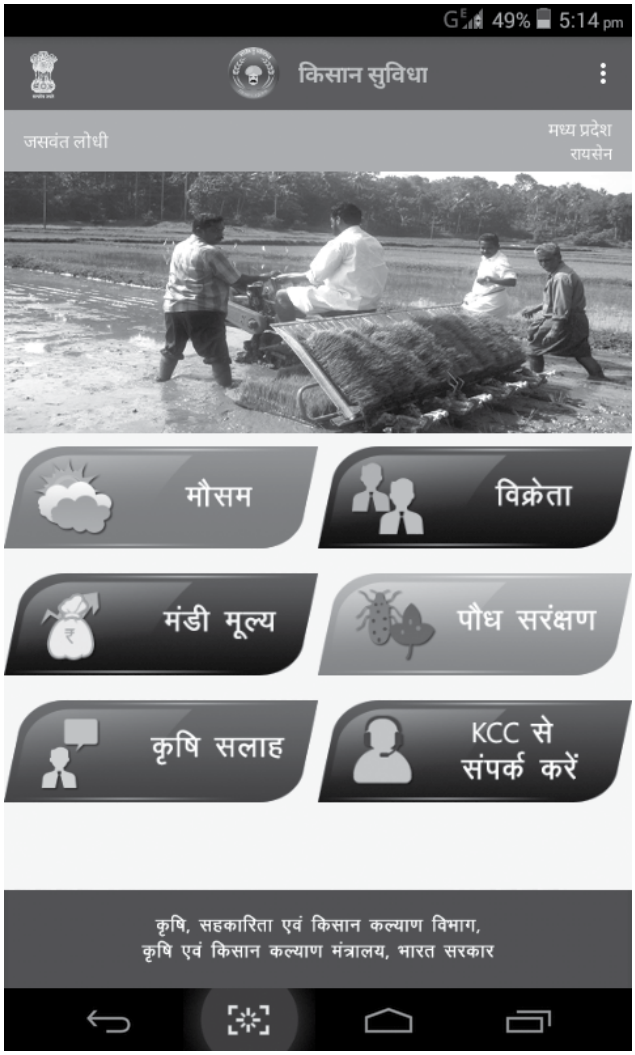

10 कृषि ऋण

क्या करें ?

* किसान अपने आपको सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए बैंकों से कृषि ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
* किसानों की फसल ऋण व सावधि ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सुविधा देश भर में फैले वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है।
* बैंक ऋण का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।
* किसानों को अपने ऋण का समुचित ब्यौरा रखना चाहिए।
* बैंक ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करें, जिसके लिए ऋण लिया गया है।

क्या पायें ?

क : किसानों को ऋण सुविधा

क्र.सं.	ऋण सुविधा	सहायता का पैमाना
1.	ब्याज सहायता समर्थक / प्रतिभूति की आवश्यकता रहित ऋण	प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज की दर से रू. 3 लाख तक फसल ऋण। सही समय पर ऋण चुकता करने पर किसानों के ब्याज पर आर्थिक सहायता के रूप में 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक ब्याज पर छूट। एक लाख रूपये तक के कृषि ऋण के लिए किसी समर्थक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।
2.	किसान क्रेडिट कार्ड	किसान फसल ऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। ऋण सीमा किसान द्वारा जोती गई जमीन और बोई फसल पर निर्धारित की जाती है। किसान क्रेडिट कर्ा 3 से 5 साल के लिए वैध होता है। किसानों की दुर्घटना में मृत्यु / अशक्तता को कवर किया जाता है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल ऋण को भी कवरेज दिया जाता है।
3.	निवेश ऋण	सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास, रोपण, बागवानी एवं कटाई उपरांत प्रबंधन इत्यादि में निवेश के लिए भी किसानों को ऋण भी सुविधा उपलब्ध है।

स्वः कृषि जिन्सों के लिए मूल्य नीति - न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत तिलहनों, दलहनों एवं कपात की खरीद के लिए मूल्य सहायता योजना (पीएसएस)

स्कीम का नाम	उद्देश्य	लाभार्थी	क्रियान्वयन एजेंसी	स्कीम के अंतर्गत कवर होने वाले उपज	उत्पादकों को होने वाले लाभ	सहायता का पैमाना
मूल्य समर्थन योजना (पी एस एस)	प्रति वर्ष रबी एवं खरीफ दोनों फसल मौसम में भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे मूल्य गिरने की स्थिति में तिलहन, दलहन एवं कोपरा, गन्ना और कच्चे जूट, कपास उत्पादकों को लाभकारी / सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराना।	देश के सभी अनाज तिलहन, दालें और कपास, कोपरा, गन्ना और कच्चे जूट उत्पादक।	(i) केन्द्रीय एजेंसियां : नैफेड एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) (ii) राज्य एजेंसियां : राज्य सहकारी विपण ान / उपज संघ और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा राज्य स्तर पर नियुक्त कोई अन्य संगठन (iii) प्राथमिक एजेंसियां : ग्रामीण स्तर पर सहकारी विपण ान समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी)	सीएसीपी 23 वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी), 5 दालें (ग्राम, तूर, मूंग, उरद, मसूर) 7 तिलहन (मूंगफली, रैपसीड-सरसों, सोयाबीन, सीसम, सूरजमुखी, नाइजर सीड्स) और 4 वाणि ाज्यिक फसलों (कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट)	मूल्य समर्थन योजना के प्रचालन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी उपज विशेष का बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने की स्थिति में किसान को न्यूनतम गारंटी मूल्य मिल सके।	(i) किसान : किसी उपज विशेष का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर किसानों को पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान। (ii) केन्द्रीय एजेंसियां : केन्द्रीय एजेंसियों को हुई हानि की भरपाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा कोपरा की खरीद पर 2.5 प्रतिशत की दर से और तिलहन, दलहनों एवं कपास के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान भी केन्द्रीय एजेंसियों को किया जाता है। (iii) राज्य एवं प्राथमिक एजेंसियां : स्टोर से भण्डारण तक हुए सभी व्यय मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रचलित मूल्य में हुए अंतर का भी भुगतान राज्य एजेंसियों को भारत सरकार / केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गोदाम के बाहर 1 : सेवा शुल्क का भी भुगतान किया जाता है।

किससे संपर्क करें ?

1. संयुक्त सचिव (सहकारिता), कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-1
2. राज्य की राजधानियों में स्थित नैफेड / एसएफसी के क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सहकारी विपणन / उत्पाद संघ के जिला स्तर के कार्यालय।

4. तहसील स्तर पर सहकारी विपणन समितियों और ब्लॉक स्तर पर एफपीओ / एफपीसी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

तिलहन/दलहन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा जून और अक्टूबर माह में (वर्ष में दो बार) रबी और खरीफ फसल की बुआई के पूर्व घोषित किए जाते हैं। जिससे किसान इन फसलों की बुआई के लिए अच्छी तरह निर्णय ले सकें। कटाई के समय किसान, क्षेत्र में प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ कर सकते हैं। यदि बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो वह खरीद प्रक्रिया से संबंधित प्राधिकारियों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2018-19 न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

क्र. सं.	खरीफ फसलें	न्यूनतम समर्थन मूल्य	क्र. सं.	खरीफ फसलें	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1.	धान (सामान्य)	1750	8.	उड़द	5600
	(ग्रेड अ)	1770	9.	कपास (मध्यम रेशा)	5150
2.	ज्वार (हाइब्रिड)	2430		(लंबा रेशा)	5450
	(मालदांडी)	2450	10.	मूंगफली छिलका सहित	4890
3.	बाजरा	1950			
4.	मक्का	1700	11.	सूरजमूखी बीज	5388
5.	रागी	2897	12.	सोयाबीन	3399
6.	अरहर (तूर)	5675	13.	तिल	6249
7.	मूंग	6975	14.	रामतिल	5877

इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल हैं जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम / मशीन श्रम, पट्टा भूमि के लिए अदा किया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्प सेटों आदि के प्रचलन के लिए डीजल / बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।

प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2018 को नई बृहत योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' पीएम-आशा को मंजूरी दे दी।
* इस योजना का उद्देश्य किसानों को 2018 के लिए केंद्रीय बजट के अनुसार उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।
* नई बृहत योजना में मूल्य सहायता योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना का पथ दर्शक शामिल है।
* इस कदम का उद्देश्य किसानों की आय की रक्षा करना है, जो कि किसानों के कल्याण की दिशा में एक बड़ी पहल है।

11 पौध संरक्षण

क्या करें ?

* रासायनिक कीट नाशकों की अपेक्षा जैव कीट नाशकों को प्राथमिकता प्रदान करें।
* कोई भी कीट नाशक प्रयोग करने से पहले कीटों के रोग प्रतिरोधकता अनुपात का पता लगाना चाहिए। समेकित कीट प्रबंधन आधारित कृषि पर्यावरण परिस्थिति (एईएसए) पद्धति विश्लेषण अपनाना चाहिए।
* मुख्य फसल (अन्तर्फसलीय / बार्डर फसलीय) के आस-पास ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो किसान मित्र कीटों को आकर्षित करें जो हानिकारक कीटों से बचाव करें।
* गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें।
* फसलों की प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें एवं फसल चक्र, अन्त:फसल, ट्रैप क्राप अपनाकर कीट नियंत्रण करें।
* कीटों की निगरानी करने और उन्हें झुंडों में पकड़ने के लिए लाइट ट्रैप / चिपकने वाली ट्रैप / फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें।
* कीटों जन्तुओं के जैविक नियंत्रण और रोगों के प्रतिरोध के लिए परजीवी कीट जीवों का उपयोग करें।
* यदि ऊपर लिखे हुए उपाय काम न आयें जो विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें।

रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां अपनायें।

* रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय बताए गये सभी सुरक्षा निर्देशों को अपनायें।
* कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सुरक्षा के साधन जैसे मास्क, दस्तानें आदि का प्रयोग करें।
* हमेशा छिड़काव हवा की दिशा में करें और अपने आप को छिड़काव से सुरक्षित रखें।
* कीटनाशकों, पादप रक्षा यंत्रों आदि को बच्चों और पालतू पशुओं की पहुंच से दूर ताला बंद कमरे में रखें।
* कीटनाशक के प्रकोप से प्रभावित होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें तथा कीटनाशक के डिब्बे व निर्देश पुस्तिका साथ ले जाएं।
* कीटनाशक के लेबल पर लिखे निर्देशों के अनुसार ही उसका प्रयोग करें।
* कीटनाशक की पर्ची पर लिखी हिदायतों के अनुसार कीटनाशक पात्र को नष्ट करें।

क्या पायें ?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना	स्कीम / घटक
पौध संरक्षण, संगरोधक एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा पूरे देश में फैले अपने 35 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्रों के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये कार्यक्रम विशेषत: किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-			
1.	सीआईपीएमसी के पर्यवेक्षण में किसनों, एनजीओ, कीटनाशक डीलरों के लिए गाँवों, कस्बों और शहरों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		हरित क्रान्ति कृषोन्नति योजना - पौध संरक्षण एवं पौध संग रोधक से संबंधित उप मिशन (एसएमपीपी)
क.	प्रगतिशील किसानों और विस्तार अधिकारियों के लिए सीआईपीएमसी के पर्यवेक्षण में राज्य के संस्थानों में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	रू. 71,000/- प्रति प्रशिक्षण	
ख.	विभिन्न केन्द्रीय सीआईपीएमसी केन्द्रों के माध्यम से किसान खेत स्कूलों का आयोजन	रू. 3,30,000/- प्रति प्रशिक्षण	
ग.	कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के माध्यम से किसान खेत पाठशाला का आयोजन	रू. 85,900/- प्रति प्रशिक्षण	
घ.		रू. 90,800/- प्रति प्रशिक्षण	
2.	कृषक खेत पाठशाला (एफएफएस) तिलहन	रू. 26,700/- प्रति खेत स्कूल	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑयल पॉम)
3.	पौध संरक्षण रसायनों, जैव कीट नाशियों / आईपीएम का वितरण	लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 500/- प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं बीआरआरआईआई
4.	खरपतवार नाशकों का वितरण	लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 500/- प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं बीआरआरईआई
5.	बागवानी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन	रू. 1000/- प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर	एमआईडीएच के अंतर्गत एनएचएम / एचएमएनईएच उप स्कीम

पौध संरक्षण उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता का विवरण पौध संरक्षण के अंतर्गत अध्याय ''मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी'' और राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन का मिनी मिशन-1 (तिलहन) के अंतर्गत दिया गया है।

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी / परियोजना निदेशक (आत्मा)

12 सतत् कृषि

क्या करें ?

* कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल / फसल पद्धति को बढ़ावा दें।
* पशु पालन, मछलीपालन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, कृषि वानिकी इत्यादि अपनाकर फसल / फसल-प्रणाली में विविधता लाए।
* चेक डैम, तालाबों, खेत तालाब, उथले / मध्यम तरह के ट्यूबवेलों, कुओं इत्यादि को सिंचाई का साधन बनाएं।
* सिंचाई की प्रभावी पद्धति, भूसमतलीकरण, मेड़बंधी, कंटूर बंडिंग, खाई निर्माण, मल्चिंग, रिज एवं कुंड पद्धति इत्यादि जैसी कम जल प्रयोग और नमी संरक्षण की तकनीकों को अपनाएं।

क्या पायें ?

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) वर्षा क्षेत्र के लिए विकास घटक में सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता की मात्रा	स्कीम
(क) एकीकृत कृषि पद्धति			
1.	चावल, गेहूं, मोटे अनाज / तिलहन / रेशम / दाल आधारित दो फसलों वाली कृषि पद्धति	आदान लागत का 50 प्रतिशत, जो रू. 10,000/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा। अधिकतम देय सहायता, 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी।	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
2.	बागवानी आधारित कृषि पद्धति (पौध रोपण + फसल / फसल पद्धति)	आदान लागत का 50 प्रतिशत, जो रू. 25,000/- प्रति हे. तक सीमित होगा। अधिकतम अनुदेय सहायता, 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी।	- तदैव -
3.	वृक्ष / सिल्वीपाश्चरल / इन सीटू / एक्स सीटू गैर इमारती वन्य उत्पादों का इन सिटू संरक्षण (एनटीएफपी) (पौध रोपण, घास / फसल / फसल पद्धति)	आदान लागत का 50 प्रतिशत, जो रू. 15,000/- प्रति हे. तक सीमित होगा। अधिकतम अनुदेय सहायता, 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी।	- तदैव -
4. पशुधन आधारित कृषि पद्धति			

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता की मात्रा	स्कीम
4.1	संकरित गायें + मिश्रित खेती + चारा भैंसे + मिश्रित खेती + चारा गाय / भैंसे + दुग्ध उत्पादन + चारा गाय / भैंस + छोटे पशु	फसल प्रणाली के कुल आदान लागत का 50 प्रतिशत आदान लागत की अधिकतम सीमा रू. 40,000/- प्रति हे. है। आदान लागत में पशुओ की लागत एवं एक वर्ष का चारा सम्मिलित है। (पशुओं में 2 दुधारू पशु + 1 हे. फसल प्रणाली सम्मिलित है) यह सहायता अधिकतम 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित है।	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
4.2	छोटे पशु (रूमिनैन्ट्स) + मिश्रित कृषि + चारा मुर्गी पालन / बत्तख पालन + मिश्रित खेती मुर्गी पालन / बत्तख पालन + मत्स्य पालन + मिश्रित कृषि	फसल प्रणाली के कुल आदान लागत का 50 प्रतिशत आदान लागत की अधिकतम सीमा रू. 25,000/- प्रति हेक्टेयर है। इस 50 प्रतिशत आदान लागत में पशुओं की लागत एवं एक वर्ष का चारा सम्मिलित है। (पशुओं में 10 पशु / 50 पक्षी + 1 हेक्टेयर फसल प्रणाली (सीएस) सम्मिलित है। यह सहायता अधिकतम 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित है।	
5.	मत्स्य आधारित कृषि पद्धति	फसल / सब्जी प्रणाली की कुल आदान लागत का 50 प्रतिशत, जिसमें मछली पालन की लागत रू. 25,000/- प्रति हेक्टेयर है। यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित है।	- तदैव -
6.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई / जैविक आदान उत्पादन इकाई / हरी खाद	लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम रू. 125/- घन फुट तक सीमित होगा। स्थायी संरचना के लिए रू. 50,000/- प्रति इकाई और एचडीपीई वर्मी बेड के लिए रू. 8,000/- प्रति इकाई / हरी खाद के लिए लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम रू. 2,000/- प्रति हे. तक होगा और प्रति लाभार्थी 2 हे. तक सीमित होगा।	- तदैव -

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता की मात्रा	स्कीम
7.	पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्धता हेतु साइलेज बनाना	ईंट और सीमेंट मसाला से 2100-2500 घनफुट का साइलो पिट (भूमि के नीचे अथवा भूमि के ऊपर) बनाना तथा साथ में चारा कटर एवं तराजू का प्रावधान साइलो पिट चारा कटर और तौलने की तराजू से साइलेज बनाने के लिए 100 प्रतिशत सहायता, जो प्रति कृषि परिवार रू. 1.25 लाख तक सीमित होगी।	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
8.	कटाई पश्चात् भण्डारण / एनटीएफपी का मूल्य संवर्द्धन	अधिक आर्थिक लाभ लेने के लिए कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु छोटे गांव स्तर पर भण्डारण / पैकिंग प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण भण्डारण / प्रसंस्करण इकाई के लिए पूंजी लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम रू. 4,000/- प्रति वर्ग मीटर की सीमा में होगा और प्रति यूनिट रू. 2 लाख की अधिकतम सहायता दी जा सकती है।	

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी / जिला बागवानी अधिकारी / परियोजना निदेशक (आत्मा)

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कृषि वानिकी उपमिशन

''हर मेंढ पर पेड़''

कृषि फसलों के साथ वृक्षारोपण

क्या करें ?

* फसल / फसल प्रणाली के साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण 'हर मेढ़ पर पेड़'।
* लघु, मध्यम और दीर्घकालिक रिटर्न वाले बहुउद्देशीय पेड़ों की प्रजातियां लगाई जाए, ताकि किसान नियमित अंतराल पर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकें। इसमें फल, चारा, औषधीय, लकड़ी और खुशबूदार प्रजातियों के पेड़ शामिल किये जा सकते हैं।
* इस योजना को उन राज्यों में लागू किया जा रहा है, जिन्होंने चयनित पेड़ प्रजातियों को पारगमन परमिट से छूट दी थी।

आप क्या प्राप्त कर सकते हैं ?

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का स्वरूप	योजना
1.	गुणववत्ता रोपण सामग्री (एनडीक्यूपीएम) के उत्पादन के लिए नर्सरी विकास	छोटी नर्सरी (0.5 ha) : 10.00 लाख रूपये बड़ी नर्सरी (1.0 हेक्टेयर) : 16.00 लाख रूपये हाई-टेक नर्सरी: 40.00 लाख रूपये	कृषि वानिकी पर उप मिशन
2.	परिधीय और सीमा बागान (पीबीपी)	अधिकतम 70/- रूपये प्रति पौधा सहायता 40:20:20:20 के अनुपात में चार वर्ष में दी जाएगी	-वही-
3.	कृषि भूमि पर कम सघनता रोपण (एलडीपीएफएल)	<100 पौधे/हेक्टेयर से कम : पौधों की वास्तविक संख्या के अनुसार/ 70/- रूपये प्रति पौधा >100 तक 500 पौधे/हेक्टेयर : 28000 रूपये (या तीव्रता रोपण के अनुपात में) सहायता 40:20:20:20 के अनुपात में चार वर्ष में दी जाएगी।	-वही-

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का स्वरूप		योजना
4.	उच्च सघनता ब्लॉक रोपण (एचडीबीपी)	ब्लॉक बागानों का आयाम (पौधों की संख्या/1 हेक्टेयर ब्लॉक)	ब्लॉक के लिए सांकेतिक कुल लागत (रुपये)	–वही–
		500 से 1000 (दूरी 3.5 मीटर x 3.5 मीटर)	30000	
		> 1000 से 1200 (दूरी 3 मीटर x 3 मीटर)	35000	
		> 1200 से 1500 (दूरी 2.5 मीटर x 2.5 मीटर)	45000	
		> 1500 (दूरी 2.5 मीटर x 2.5 मीटर से कम)	50000	
		सहायता 40:20:20:20 के अनुपात में चार वर्ष में दी जाएगी		
उत्तरपूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के बीच प्रस्तावित फंडिंग पैटर्न 60:40 है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी राज्यों में फंड शेयरिंग 90:10 होगी। भारत सरकार के संघ शासित प्रदेशों के लिए सहायता 100 प्रतिशत होगी।				

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी / जिला वन अधिकारी

एनएमएसए के अन्तर्गत राष्ट्रीय बांस उप मिशन

राष्ट्रीय बांस उप मिशन (एनबीएम) गैर वन सरकार और निजी भूमि, किसानों के खेतों, गृहस्थों, सामुदायिक भूमि, खाली पड़ी जमीन, और सिंचाई नहरों, जल निकायों आदि के साथ लागू किया जाएगा।

लागत मानदंडों और निधिकरण पद्धति सहित हस्तक्षेप

क्र. सं.	प्रयोगात्मक गतिविधियाँ		संकेतक इकाई लागत (अधिकतम सीमा) (लाख रूपये में)	सहायता का स्वरूप
क. प्रसार और खेती				
1.	सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों में बांस नर्सरी में सहायता व मजबूती (परियोजना पर आधारित)	हाई-टेक (2 हेक्टेयर) बड़ा (1 हेक्टेयर) छोटा (0.5 हेक्टेयर)	50 16 10	क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में सरकारी क्षेत्र में 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिशत।
2.	बंजर भूमि सहित सरकारी / पंचायत / सामुदायिक भूमि में उच्च घनत्व का बांस वृक्षारोपण।		तीन वर्ष तक 1.00 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर	तीन वर्षों में लागत का 100 प्रतिशत सरकारी और लागत का 50 प्रतिशत 2 हेक्टे. तक (3000 तक पौधे), 2-4 हेक्टेयर तक लागत का 20 प्रतिशत (10000 पौध तक) (50:30:20) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता। 4 हेक्टेयर से अधिक वृक्षारोपण पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। संरक्षण निधि को प्रदर्शन आधार पर रखा जाएगा। (उत्तरजीविता प्रतिशत पैरा 10.24 के अनुसार)
3.	किसानों के खेत में ब्लॉक वृक्षारोपण / सीमा वृक्षारोपण		1.00 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर (240/- रूपये प्रति पौधे के बराबर)	सरकारी क्षेत्रों में तीन वर्षों (50:30:20) में लागत का 100 प्रतिशत सरकारी और निजी क्षेत्रों में लागत का 50 प्रतिशत तक संरक्षण निधि को प्रदर्शन आधार पर रखा जाएगा। (उत्तरजीविता प्रतिशत पैरा 10.24 के अनुसार)

क्र. सं.	प्रयोगात्मक गतिविधियाँ		संकेतक इकाई लागत (अधिकतम सीमा) (लाख रूपये में)	सहायता का स्वरूप
ख. बांस उपचार और संरक्षण को बढ़ावा				
1.	बांस उपचार और मौसमी पौध रोपण की स्थापना	सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए	20 (परियोजना आधारित)	क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में लागत का 50%
2.	कार्बोनिकरण पौधा रोपण	निजी क्षेत्र में	30 (परियोजना आधारित)	– वही –
3.	आजीविका व्यापार इनक्यूबेटर की स्थापना	सरकारी / निजी क्षेत्र	100 (परियोजना आधारित)	केवल पौधों और मशीनरी की खरीद के लिए सरकारी संस्थान को 100 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र को 50 प्रतिशत सहायता
ग. उत्पाद विकास एवं प्रसंस्करण				
1.	बांस की मूल्य वृद्धि के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में)	क्रॉस कटिंग, टुकड़ा करने, विभाजन करने, गाँठ हटाने व आकार देने आदि के लिए इकाई की स्थापना	30 (परियोजना आधारित)	लागत का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% अतिरिक्त)
2.	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयो में बांस कचरे का प्रबंधन	पैलेट एवं सक्रिय कार्बन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों को बनाने के लिए।	25 (परियोजना आधारित)	– वही –
3.	सूक्ष्म / मध्यम प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना (संख्या में)	हैंडीक्राफ्ट / लघु उद्योग	15 (परियोजना आधारित)	– वही –
		फर्नीचर बनाने में	25 (परियोजना आधारित)	– वही –
		कपड़ा / आभूषण बनाने में	15 (परियोजना आधारित)	– वही –
		बांस तना प्रसंस्करण	20 (परियोजना आधारित)	– वही –
		हवन सामग्री बनाने में	25 (परियोजना आधारित)	– वही –

क्र. सं.	प्रयोगात्मक गतिविधियाँ		संकेतक इकाई लागत (अधिकतम सीमा) (लाख रूपये में)	सहायता का स्वरूप
		फैब्रिक / फाइबर निकालने में	50 (परियोजना आधारित)	– वही –
		सार्वजनिक सुविधा केन्द्र (सीएफसी)	25 (परियोजना आधारित)	– वही –
		बांस बोर्ड / चटाई / लहरदार चादर / फर्श की टाइलें बनाने में	200 (परियोजना आधारित)	– वही –
		जैव ऊर्जा निष्कर्षण	200 (परियोजना आधारित)	– वही –
		सक्रियकृत कार्बन उत्पाद	200 (परियोजना आधारित)	– वही –
		इथेनॉल गैसीफायर	500 (परियोजना आधारित)	– वही –
घ. बांस बाजार के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और प्रसार				
1.	बांस डिपो और गोदामों की स्थापना	सरकारी / निजी क्षेत्र	50 (परियोजना आधारित)	सरकारी क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में लागत के 25 प्रतिशत की सहायता (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 33 प्रतिशत)
2.	बांस मंडी (बांस बाजार स्थान) को बढ़ावा एवं ई–व्यापार	सरकारी क्षेत्र / निजी क्षेत्र	100 (परियोजना आधारित)	सरकारी क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत सहायता (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 33 प्रतिशत)
3.	ग्रामीण हाट	खुदरा सीधी बिक्री	20 (परियोजना आधारित)	– वही –

क्र. सं.	प्रयोगात्मक गतिविधियाँ		संकेतक इकाई लागत (अधिकतम सीमा) (लाख रूपये में)	सहायता का स्वरूप
4.	बांस बाजार	राज्य के प्रमुख स्थानों पर मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए खुदरा दुकानें	15 (परियोजना आधारित)	– वही –
च. औजार, उपकरण एवं मशीनरी का विकास				
1.	स्वदेशी औजार, उपकरण और मशीनरी की तकनीकी वृद्धि		परियोजना आधारित	सरकारी संस्थान को डिजाइन इत्यादि के विकास हेतु 100 प्रतिशत अनुदान, 50 प्रतिशत अनुदान ऐसी मशीन बनाने वाली इकाइयों के लिए जो इन मशीनों को विकसित कर रही है।
	सार्वजनिक सुविधा केन्द्र में तकनीकी रूप से बेहतर औजार, उपकरण और मशीनरी का आयात		– वही –	– वही –
छ. कौशल विकास और जागरूकता अभियान (5 प्रतिशत तक आवंटन)				
	(i) किसानों / कारीगरों / क्षेत्र कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण / अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण / बांस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी हेतु किसानों और उद्यमियों सहित एनबीएम कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन यात्रा।	कौशल भारत मिशन के अनुसार लागत मानक अपनाया जाएगा।	परियोजना आधारित	लागत का 100%
	(ii) अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / जिला में कार्यशाला / सेमिनार / प्रशिक्षण आयोजित करना।	परियोजना आधारित		100% सहायता

क्र. सं.	प्रयोगात्मक गतिविधियाँ		संकेतक इकाई लागत (अधिकतम सीमा) (लाख रूपये में)	सहायता का स्वरूप
	(iii) यात्रा, ठहरना / भाग लेने वाले कारीगरों को रूकाने सहित देशीय व्यापार मेला / अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला / प्रदर्शनी आदि में सहभागिता।	परियोजना आधारित		100% सहायता
ज. अनुसंधान एवं विकास (10% तक आवंटन)				
1.	प्रमाणिक रूप से बेहतर प्रजातियों / किस्मों की पहचान	परियोजना आधारित		निजी क्षेत्र के लिए रू. 10 लाख व सरकारी संस्थान के लिए 100% सहायता
2.	चिन्हित प्रजातियों / किस्मों + खेत प्रशिक्षण की मजबूती सहित टिसू कल्चर लैब की स्थापना			
3.	किसानों को सर्वोत्तम, कार्य दिखाने के लिए प्रदर्शन लगाना।			
4.	ऊष्मायन केन्द्र			
5.	बांस बाजार अनुसंधान			
झ. परियोजना प्रबंधन (5% तक आवंटन)				
	परियोजना प्रबंधन आकस्मिक निगरानी और मूल्यांकन	प्रस्ताव आधारित	5% तक	1000%

नोट : उत्तरपूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के बीच प्रस्तावित फंडिंग पैटर्न 60:40 है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी राज्यों में फंड शेयर 90:10 और संघ शासित प्रदेशों / बीटीएसजी (मौजूदा) के मामले में 100% होगा। यदि एनबीएम (मुख्यालय) द्व ारा किसी विशिष्ट परियोजना / हस्तक्षेप के लिए किसी केन्द्रीय संस्थान को सीधे निधि जारी की जाती है, तब निधि में 100% केन्द्रीय शेयर होगा।

13 कृषि बीमा : प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

क्या करें ?

* प्राकृतिक जोखिमों जैसे - प्राकृतिक आपदा/संकट, कीट, कृमि और रोग एवं विपरीत मौसम परिस्थितियों के विरूद्ध अपने आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
* अपने क्षेत्र में लागू उचित फसल बीमा योजना से लाभ उठाना।
* इस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस) और 45 जिलों में पायलेट एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआईएस) नामक 4 बीमा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।
* यदि आप अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लेते हैं तो अपने आपको पीएमएफबीवाई/डब्ल्यूबीसीआईएस/सीपीआईएस/यूपीआईएस के अंतर्गत शामिल होना अनिवार्य है।
* गैर ऋणी किसानों के लिए इसमें शामिल होना स्वैच्छिक है।
* फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी/कार्यरत बैंक/पैक्स (पीएसीएस) जन सूचना केन्द्र अथवा फसल बीमा कम्पनी की निकटवर्ती शाखा से सम्पर्क करें।

क्या पायें ?

क्र. सं.	योजनाएं	सहायता
1.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	* राज्य द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहनों और वार्षिक बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए सुरक्षा बीमा। * सभी किसानों के लिए एक समान रूप में निर्धारित प्रीमियम : i) खरीफ मौसम में बीमित राशि का अधिकतम 2% ii) रबी मौसम में बीमित राशि का अधिकतम 1.5% iii) वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसल में बीमित राशि का अधिकतम 5% * बीमांकिक प्रीमियम और किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर के बीच अंतर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जायेगा। * पूर्ण क्षतिपूर्ति बिना कटौती या कमी के। * यदि विपरीत मौसम/जलवायु के कारण बुवाई नहीं हो पाती है तो बुवाई / रोपण जोखिम के लिए बीमित राशि के 20% तक दावा / क्षतिपूर्ति देय होगी। * जब फसल उपज अधिसूचित फसल की गारंटीशुदा उपज से कम हो, तब सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान स्तर उपज में कमी के अनुसार देय होगा। * यदि फसल के मध्य में ही 50% फसल की हानि हो जाती है तो तत्काल राहत के रूप में 25% तक संभावित दावों का भुगतान अग्रिम किया जायेगा।

क्र. सं.	योजनाएं	सहायता
		* बाढ़, ओलावृष्टि और भूस्खलन की वजह से नुकसान का मूल्यांकन खेत स्तर पर किया जाएगा। * खेत में कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने हेतु रखी फसल यदि 14 दिनों के अन्दर चक्रवाती बारिश व बेमौसम बारिश के कारण खराब हो जाती है और क्षतिपूर्ति का आकलन खेत स्तर पर किया जाएगा। * दावों के त्वरित निपटान हेतु रिमोट सैंसिंग प्रौद्योगिकी और ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। * बीमा कम्पनी का चयन राज्य सरकार द्वारा टेन्डर के माध्यम से किया जायेगा।
2.	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)	* राज्य द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहनों और बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए सुरक्षा बीमा योजना। * पीएमएफबीवाई के समान सभी किसानों के लिए निर्धारित प्रीमियम जैसे :- क. खरीफ मौसम - बीमित राशि का अधिकतम 2% ख. रबी मौसम - बीमित राशि का अधिकतम 1.5% ग. वाणिज्यिक / बागवानी फसल - बीमित राशि का 5% * किसानों द्वारा देय वास्तविक प्रीमियम तथा बीमा के दर के बीच अंतर को केंद्र एवं राज्य द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। * यदि मौसम (वर्षा / तापमान / संबद्ध आर्द्रता / हवा की गति आदि) अधिसूचित फसलों के प्रत्याभूति गारंटी मौसम सूची से भिन्न (कम अथवा अधिक) होते हैं, तब अधिसूचित क्षेत्रों के सभी बीमित किसानों के लिए भिन्नता / कमी के समतुल्य क्षतिपूर्ति भुगतान देया है। * व्यक्तिगत फार्म स्तर पर ओलावृष्टि तथा बादल फटने के कारण हानियों का आकलन करने का प्रावधान है। * बीमा कम्पनी का चयन राज्य सरकार द्वारा टेन्डर के माध्यम से किया जायेगा।

क्र. सं.	योजनाएं	सहायता
3.	अधिसूचित जिलों में पायलट के रूप में एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआईएस)	* किसानों को वित्तीय संरक्षण एवं फसल परिसंपत्ति, जीवन तथा विद्यार्थी सुरक्षा की व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करने हेतु। * पायलट में सात खण्ड अर्थात् फसल बीमा (पीएमएफबीवाई / डब्ल्यूबीसीआईएस), जीवन ही हानि (पीएमजेजेबीवाई), दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता, विद्यार्थी सुरक्षा, परिवार, कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर शामिल। * फसल बीमा को अनिवार्य किया जाएगा तथापि किसान शेष में से कम से कम दो खण्ड का चुनाव कर सकते हैं। * किसान एक सामान्य प्रस्ताव / आवेदन प्रपत्र तथा एकल व्यवस्था के माध्यम से किसानों के लिए सभी अपेक्षित बीमा उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। * बीमा परिसंपत्तियों के अलावा सरकार की दो फ्लैगशिप योजनाएं यथा पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेबीवाई को शामिल किया गया है। * एकल व्यववस्था पटल के माध्यम से पायलट योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। * व्यक्तिगत दावे रिपोर्ट के आधार पर दावों (फसल बीमा के अलावा) का प्रसंस्करण।

किससे संपर्क करें ?

बैंक की नजदीकी शाखा / कृषि सहकारी समितियां / जन सूचना केन्द्र / सहकारी बैंक / क्षेत्र के लिए अधिसूचित सामान्य बीमा कंपनी तथा जिला कृषि अधिकारी / खंड विकास अधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है अथवा वैब पोर्टल www.pmfby.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

14 मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018

* भारत सरकार द्वारा पहली बार देश के किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है।
* एक एक्ट के माध्यम से जहाँ एक तरफ कृषि जींसों का अच्छा दाम किसानों को मिल सकेगा, वहीं फसल कटाई उपरांत नुकसानों को कम किया जा सकेगा। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।
* किसानों को भूमि / परिसर में कोई स्थायी संरचना विकसित नहीं की जा सकती है।
* किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों को संगठित किया जा सके।
* यदि किसानों द्वारा अधिकृत किया गया तो एफपीओ / एफपीसी एक अनुबंध पार्टी हो सकती है।
* संविदा खेती प्रायोजक को भूमि के अधिकार, शीर्षक, स्वामित्व का कब्जे का हस्तांतरण एवं विमुख करने का अधिकार नहीं होगा।
* संविदा के अनुसार एक या अधिक कृषि उपज, पशुधन या अनुबंध कृषि उपज के उत्पाद की पूरी मात्रा पूर्व-सहमत दर पर खरीद सुनिश्चित करना है।
* गाँव / पंचायत स्तर पर संविदा खेती और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए संविदा खेती सुविधा समूह (सीएफएफजी) का प्रावधान किया गया है।
* विवाद निपटारण का प्रावधान जहां तक संभव है सबसे निचले स्तर पर किया गया है ताकि वहां तक पहुंच आसान हो एवं विवादों का निपटारण जल्दी-से-जल्दी किया जा सके।
* कृषि सुधारों के संदर्भ में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से भू-धारकों एवं लीज प्राप्तकर्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है।
* इस एक्ट के माध्यम से भू-धारक वैधानिक रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आपसी सहमति से भूमि लीज पर दे सकते हैं। यहां भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में लीज प्राप्तकर्ता का कृषि भूमि पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
* लीज प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से यह ध्यान दिया गया है कि उसे संस्थागत ऋण, इंश्योरेंस तथा आपदा राहत राशि उपलब्ध हों, जिससे उनके द्वारा अधिक-से-अधिक कृषि पर निवेश हो सके।
* भू-धारक एवं लीज प्राप्तकर्ता के बीच विवाद को सुलझाने के लिए सिविल कोर्ट के अन्दर Special Land Tribunal तथा मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है।

नोट :

यह पुस्तिका भारत सरकार के द्वारा वेबसाईट पर दी गयी सूचना के आधार पर इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवार किया गया है। भाषा में अन्तर सम्भावित हो सकता है।

इसके किसी भी त्रुटि हेतु प्रकाशक, सम्पादक या संकलनकर्त्ता जिम्मेदार नहीं है।

This book can not be used for legal purpose.

राज्यस्तरीय कृषि प्रबंधन प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान
(समेति), झारखण्ड
कृषि भवन, द्वितीय तल, काँके रोड, राँची, झारखण्ड - **834008**
वेबसाईट : www.sameti.org
ई.मेलः sametijharkhand@rediffmail.com

© सर्वाधिकार सुरक्षित